उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 4 अंक 3 1-15 फरवरी 2021 ₹ 20/-

पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी फिर विवादों में

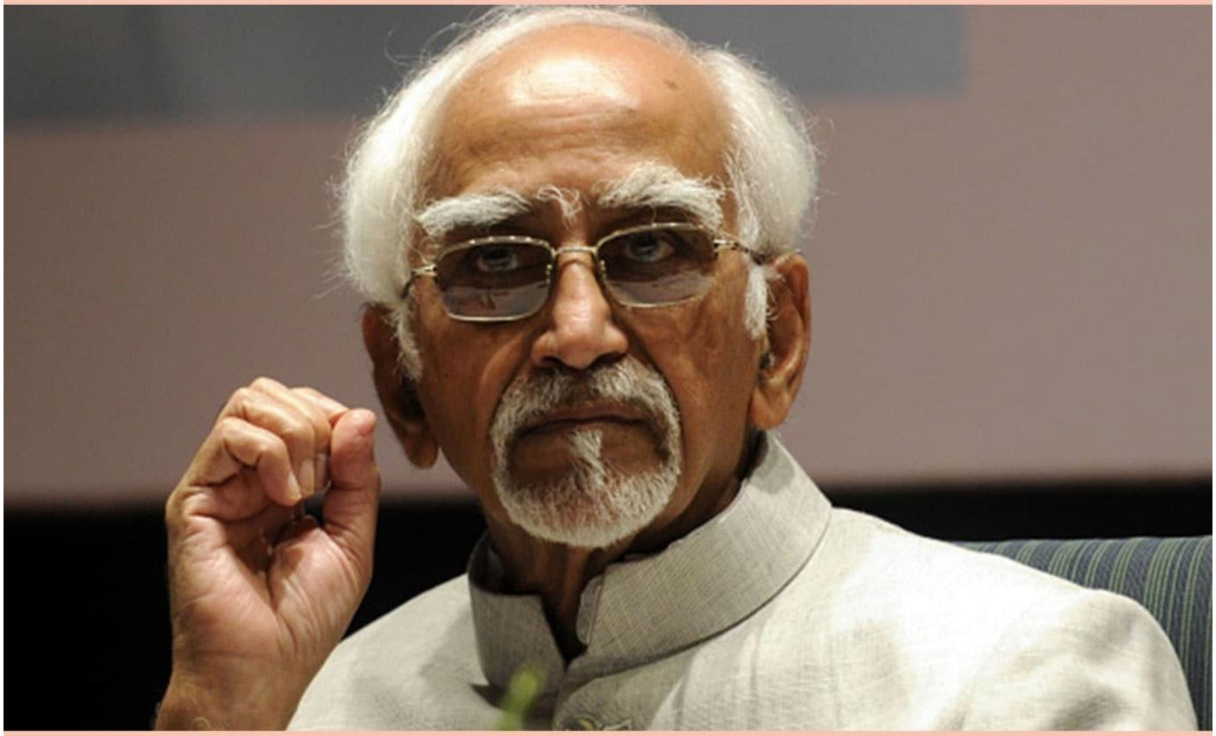

- पॉपुलर फ्रंट किसान आंदोलन के साथ
- कोरोना के कारण अरब देशों में प्रवेश पर प्रतिबंध
- अफगानिस्तान में विस्फोटक स्थिति का खतरा
- योगी सरकार द्वारा मदरसों के खिलाफ कार्रवाई

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी-51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली-110016
दूरभाषः 011-26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक-प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी-51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली-110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए-102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-2, नई दिल्ली-110020 मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी फिर विवादों में 04
पॉपुलर फ्रंट और अन्य अतिवादी मुस्लिम संगठन किसान आंदोलन के साथ 10
मुख्तार अंसारी पर उत्तर प्रदेश और पंजाब सरकार में टकराव 12
कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी जमानत पर रिहा 15
केन्द्रीय बजट और मुसलमान 16

विश्व

अफगानिस्तान में विस्फोटक स्थिति का खतरा 19
इंडोनेशिया में स्कार्फ पहनने की अनिवार्यता समाप्त 20
अमेरिकी पत्रकार के हत्यारे को रिहा करने पर विवाद 21
पाकिस्तान में रसूल और इस्लाम की तौहीन के मुकदमों की भरमार 23
दक्षिण अफ्रीका में मुस्लिम महिला सैनिकों को हिजाब की अनुमति 24

पश्चिम एशिया

कोरोना महामारी के कारण तीन अरब देशों में प्रवेश पर प्रतिबंध 25
अमेरिका का सऊदी अरब को एक और झटका 26
इजरायल से समझौता करने के खिलाफ सूडान में प्रदर्शन 28
इजरायल के प्रधानमंत्री का संयुक्त अरब अमीरात दौरा 29
लीबिया में अंतरिम सरकार की स्थापना 29

अन्य

योगी सरकार द्वारा मदरसों के खिलाफ कार्रवाई 31
इमारत-ए-शरिया द्वारा इस्लाम के प्रसार के लिए राज्यव्यापी अभियान 32
मस्जिद में नमाज पर प्रतिबंध से विवाद 32
उर्दू साहित्यकार के नाम पर विश्व उर्दू अवार्ड 34

सारांश

शाहीन बाग से खालिस्तान समर्थकों और अतिवादी इस्लामिक संगठनों के बीच गठबंधन का जो सिलसिला शुरू हुआ था अब उसने नया मोड़ ले लिया है। अब किसान आंदोलन में पॉपुलर फ्रंट और जमात-ए-इस्लामी जैसे संगठनों ने घुसपैठ कर ली है। अनेक मुस्लिम संगठनों ने खुलेआम किसान आंदोलन का समर्थन करने की भी घोषणा की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति ने एक नई करवट ली है। जाट नेताओं का मुस्लिम नेताओं के साथ पुनः गठबंधन हो गया है जो कि सात वर्ष पूर्व शामली मे हुए दंगों के कारण टूट गया था।

कांग्रेसी नेता और पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी पुनः विवादों के घेरे में हैं। हाल ही में उनकी एक आत्मकथा प्रकाशित हुई है, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद देश के मुसलमानों में असुरक्षा की भावना पैदा हुई है। वर्तमान सरकार के शब्दकोश से सेक्युलरिज्म का शब्द गायब हो गया है। अंसारी ने यह भी शिकायत की है कि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निदेश के बावजूद उन्होंने राज्य सभा में सरकारी विधेयक पारित करवाने में नियमों की अवहेलना करने से इनकार कर दिया था इसलिए वे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के निशाने पर हैं। उर्दू अखबारों में अंसारी इन दिनों चर्चा का केन्द्र बने हुए हैं। उल्लेखनीय है कि अंसारी प्रारम्भ से ही अनेक विवादों में घिरे रहे हैं।

'वाल स्ट्रीट जनरल' के संवाददाता डेनियल पर्ल के आतंकी हत्यारों को जेल से रिहा करने के प्रश्न पर पाकिस्तान सरकार और अमेरिकी सरकार में ठनी हुई है। 11 सितंबर, 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले से जुड़े हुए इस्लामिक आतंकवादी संगठनों के बारे में जब अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल कराची में जानकारी एकत्र करने का प्रयास कर रहे थ तो उनका अपहरण कर लिया गया। एक महीने बाद उनका सिर कटा हुआ शव बरामद हुआ। पुलिस ने इस संदर्भ में ब्रिटिश मूल क एक इस्लामिक आतंकवादी अहमद उमर शेख को अन्य चार आतंकवादियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय ने इनलोगों को फांसी की सजा दी थी। मगर बाद में सिंध उच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया। गत 20 वर्षों से ये आतंकवादी पाकिस्तान की जेलों में बंद थे। गत वर्ष सिंध उच्च न्यायालय ने उन्हे जेल से रिहा करने का निर्देश दिया था और इस वर्ष पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी पुष्टि भी कर दी। जब यह मामला मीडिया में उछला तो अमेरिकी सरकार ने इस पर नाराजगी प्रकट की और पाकिस्तान सरकार पर इस बात के लिए दबाव डाला कि इस हत्या का केस अमेरिका में चलाने की अनुमति दी जाए। अमेरिकी सरकार के दबाव के कारण अब पाकिस्तान सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर करके यह मांग की है कि अभियुक्तों की रिहाई के फैसले को रद्द किया जाए।

अफगानिस्तान में विस्फोटक स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है। गत वर्ष ट्रम्प प्रशासन ने तालिबान से एक समझौता किया था जिसके तहत यह तय किया गया था कि अमेरिका अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से क्रमशः वापस बुला लेगा। अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगान नीति में परिवर्तन करने की घोषणा की है। इसके बाद तालिबान ने यह धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने पुराना समझौता रद्द किया तो उसके भीषण परिणाम होंगे और देश में नया भीषण युद्ध छिड़ जाएगा, जो कि किसी के हित में नहीं होगा।

अरब देशों में कोरोना महामारी का प्रकोप पुनः तेज हो गया है। इसके कारण सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत आदि देशों ने विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही अन्य गतिविधियों को भी आंशिक रूप से ठप कर दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ की गई रक्षा संधियों को रद्द करने की घोषणा की है। अमेरिकी प्रशासन को यह आशा थी कि इसके कारण ईरान के साथ उसके संबंधों में सुधार होगा। मगर ईरान सरकार ने अमेरिका को गहरा झटका दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह घोषणा की है कि जब तक अमेरिका ईरान पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को नहीं हटाता उससे कोई बातचीत नहीं की जाएगी।

पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी फिर विवादों में

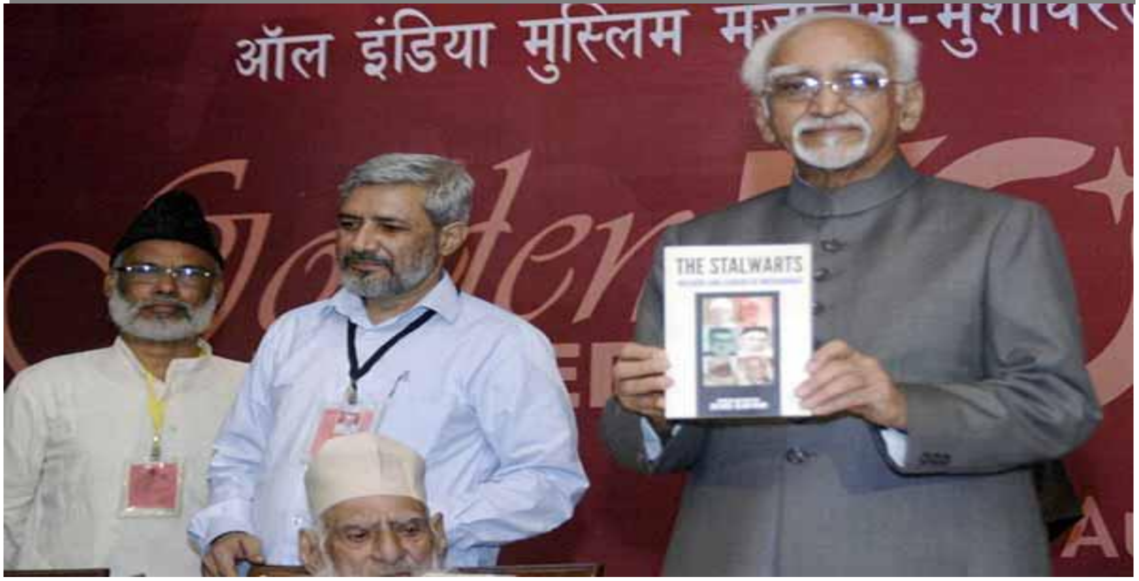

मुंबई उर्दू न्यूज (1 फरवरी) के अनुसार पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने अपनी नई पुस्तक को लेकर एक न्यूज चैनल 'जी न्यूज' को दिए इंटरव्यू में कहा है कि वर्तमान सरकार के शब्दकोश से सेक्युलरिज्म का शब्द गायब हो गया है। जब मुसलमानों में असुरक्षा की भावना के बारे में उनकी एंकर से बार-बार झड़प हुई तो उन्होंने एंकर की मानसिकता पर ही प्रश्न उठा दिया और इंटरव्यू अधूरा छोड़कर चले गए। जब अंसारी से यह पूछा गया कि क्या 2014 से पहले की सरकार के शब्दकोश में ये शब्द थे तो उन्होंने कहा कि हां। इसके बाद एंकर ने उनसे हिन्दू आतंकवाद, मुसलमानों में असुरक्षा की भावना, मॉब लिंचिंग जैसे प्रश्न पूछने शुरू किए। जब एंकर ने उनसे पूछा कि आप दस वर्ष तक उपराष्ट्रपति रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। देश ने आपको इतना कुछ दिया है लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि मुसलमान इस देश में असुरक्षित हैं। इसका क्या कारण है? इस पर अंसारी ने कहा कि मैंने जनता की भावना को देखते हुए ये बात कही है। जब एंकर ने बार-बार उनसे यह सवाल पूछा कि आखिर आपको क्यों लगता है कि मुसलमान असुरक्षित हैं? इस पर अंसारी बार-बार अपनी पुस्तक को ध्यान से पढ़ने की बात कहते रहे। एंकर ने कहा कि इस इंटरव्यू का उद्देश्य उनकी पुस्तक का प्रचार करना नहीं है बल्कि उस पुस्तक में व्यक्त किए गए विचारों पर सवाल करना है। जब एंकर बार-बार मुसलमानों की असुरक्षा का सवाल पूछता रहा तो वे नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि आपकी मानसिकता ठीक नहीं है। मैंने आपको इंटरव्यू के लिए निमंत्रण नहीं दिया था। ज्ञातव्य है कि जब हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति थे तो बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में उन्होंने यह आराप लगाया था कि मुसमलानों में असुरक्षा की भावना तेजी से बढ़ रही है।

अवधनामा (5 फरवरी) के अनुसार पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की नई पुस्तक जो उनके जीवन से संबंधित है, इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। इस पुस्तक में उन्होंने बेबाकी और ईमानदारी से अपने जीवन से संबंधित घटनाएं पेश की हैं। इस पर विभिन्न वर्गों की ओर से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हामिद अंसारी का कहना है कि न सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय बल्कि हमारी कई अन्य संवैधानिक संस्थाएं भी कुछ हद तक विफल रही हैं। उन्होंने कहा कि देश में असहिष्णुता की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। इसका कारण यह है कि इसे सरकार का समर्थन प्राप्त है। इसी कारण अल्पसंख्यकों की स्थिति खराब हुई है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के साथ भी वैसा ही बर्ताव होना चाहिए जैसे देश के अन्य नागरिकों के साथ होता है। हमें संविधान को पढ़ना चाहिए जो स्पष्ट रूप से सबके लिए बराबरी, न्याय और भाईचारे की बात करता है। इंसाफ और भाईचारा हर समाज का आधार होता है। अगर आप अपने साथी नागरिक के साथ समान बर्ताव नहीं करेंगे तो आप न्याय नहीं कर रहे हैं।

गुजरात के दंगों पर उन्होंन कहा कि 2002 के गोधरा दंगों के बाद इन दंगों में प्रभावित होने वालों को जो राहत राज्य सरकार को पहुंचानी चाहिए थी वह नहीं पहुंचाई गई। इसके लिए जो नीयत होनी चाहिए थी वह नहीं थी। गोधरा को 18 वर्ष हो गए हैं। एक पूरी नस्ल बड़ी हो गई है और उन्होंने अन्याय के वातावरण में जिंदा रहना सीख लिया है। देश में अल्पसंख्यकों की हालत खराब हुई है। लव-जिहाद, घर वापसी और धर्मांतरण के कानून वास्तविक समस्याओं जैसे गरीबी और विकास की मांग से जनता का ध्यान हटाने के लिए है। उन्होंने कहा कि सेक्युलरिज्म संविधान का हिस्सा है। मगर हम सेक्युलरिज्म को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं। हम संविधान की भावना की उपेक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बहुसंख्यक समाज के शासन की जिस कल्पना को प्रोत्साहन दे रही है उससे समाज को नुकसान पहुंचेगा। यह समाज के भाईचारे और समता के सिद्धांतों के खिलाफ है। चीन के साथ विवाद की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक सरकार ने इसे सही ढंग से निपटा है। कुछ अन्य समस्याएं हैं। हमें इस बात पर विचार करना होगा कि स्थिति नियंत्रण से बाहर न हो। नागरिकता कानून पर अपनी राय व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इसके कुछ पक्ष हैं जिनका स्पष्टीकरण जरूरी है। हम सब हिंदुस्तानी नागरिक है और अगर नागरिकता पर सवाल खड़े किए गए तो मुझे इसका विरोध करने का पूरा अधिकार है।

सियासत (1 फरवरी) के अनुसार उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत में मुसलमानों के लिए दिन-प्रतिदिन समस्याएं पैदा हो रही हैं। वर्तमान सरकार के शब्दकोश में सेक्युलरिज्म का शब्द नहीं है। सरकारी दफ्तरों से यह लगभग गायब हो चुका है। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न भागों में ऐसी मानसिकता पैदा हो गई है जिससे अल्पसंख्यकों का जीना हराम हो गया है। कुछ लोगों को सरकार के इन गुप्त मंसूबों का इल्म नहीं है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के अंदर अपनी शांति और सुरक्षा के बारे में चिंता पैदा हो रही है। भीड़ द्वारा हत्या की घटनाओं ने इस देश के अल्पसंख्यकों को भयभीत कर दिया है। इससे साफ है कि वर्तमान सरकार ने हिंदस्तानी जनता के दिल और दिमाग में जहर भर दिया है।

दैनिक इंकलाब ने 4 फरवरी के अंक में उर्दू के पत्रकार मासूम मुरादाबादी का एक लेख प्रकाशित किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अंसारी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि एक बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अचानक उनसे मिलने आए थे। उन्होंने यह शिकायत की थी कि आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं और शोरगुल में बिल पारित क्यों नहीं किए जा रहे हैं? हामिद ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि सदन के सभापति के तौर पर उन्होंने यह फैसला किया था कि कोई भी बिल हंगामे और शोर-शराब के बीच वे पास नहीं होने देंगे। इसके कारण सरकारों को आमतौर पर परेशानी हुई। मगर मोदी सरकार को यह लगता था कि लोकसभा में बहुमत होने के कारण उसे राज्य सभा की नियमावली के कारण आने वाली बाधाओं को दूर करने का लाइसेंस मिल गया है। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी को मैंने बताया था कि राज्य सभा में भाजपा के नेता अरूण जेटली जब विपक्षी दल के नेता थे तो उन्होंने भी इस बात पर सहमति प्रकट की थी कि कोई भी बिल शोरगुल में पास नहीं करवाया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने यह भी शिकायत की कि राज्य सभा टीवी से पसारित होने वाले कार्यक्रम सरकार के पक्ष में नहीं होते। इस पर अंसारी ने यह स्पष्ट किया कि टीवी के कार्यक्रम में उनका कोई दखल नहीं है बल्कि इस संबंध में राज्य सभा की एक सर्वदलीय समिति निर्णय करती है जिसमें भाजपा के भी सदस्य हैं। अंसारी ने लिखा है कि अगस्त 2015 मं जब उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरात के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया तो उनके भाषण की भी सत्तारूढ़ दल ने आलोचना की थी। हामिद अंसारी की यह आत्मकथा अंग्रेजी भाषा 'By Many a Happy Accident : Recollections of a Life' के शीर्षक से प्रकाशित हुई है। लेखक ने यह आरोप लगाया है कि जी न्यूज के जिस पत्रकार ने उनका इंटरव्यू लिया था उसने उन्हें जानबूझकर घेरने की कोशिश की थी। लेखक का यह भी कहना है कि हामिद अंसारी एक मात्र ऐसे मुस्लिम नेता हैं जिन्होंने पूरी ईमानदारी और बेबाकी से मुसलमानां की समस्याओं को पेश करने की हिम्मत की है।

दैनिक सहाफत (8 फरवरी) में रसीदुद्दीन खान ने पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का जोरदार ढंग से समर्थन किया है और कहा है कि बेबाकी से सच बोलने वाला जनता में तो लोकप्रिय हो जाता है लेकिन सत्तारूढ़ लोगां के आंखों की किरकिरी बन जाता है। हुकूमत के गलियारों और पूंजीपतियों के दरबार में स्पष्टतावाद को कभी पसंद नहीं किया गया। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी गद्दी की परवाह न करते हुए अपने सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया और वे सारी जिंदगी आदर्शवाद और सिद्धांतवाद का दामन थामे रहे। डॉ. हामिद अंसारी हालांकि तीन वर्ष पूर्व ही उपराष्ट्रपति के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और आज भी संघ परिवार और गोदी मीडिया की आंखों में खटक रहे हैं। हामिद ने ऐसा क्या कह दिया कि सरकार की नींद हराम हो गई ह और उसे काउंटर करने के लिए गोदी मीडिया को मैदान में उतारा गया है। हिंदुस्तान के मुसलमानों में बेचैनी है और वे असुरिक्षत होने की भावना से ग्रस्त हैं। हामिद अंसारी संघ परिवार और उनके समर्थकों को इतने नागवार गुजरे हैं कि वे उन्हें कट्टरपंथी सिद्ध करन में लग गए हैं।

अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में डॉ. अंसारी ने राज्य सभा टीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि देश के मुसलमानों का

उत्पीड़न हो रहा है और उनमें असुरक्षा की भावना व्याप्त है। यह जुमला आज भी नरेन्द्र मोदी सरकार का पीछा कर रहा है। हामिद अंसारी की यह अभिव्यक्ति उनके लम्बे अनुभव का निचोड़ है। जब वे राज्य सभा के सभापति थे तो भाजपा यह चाहती थी कि हामिद अंसारी उनकी नीतियों को लागू करने में सहयोग दें। क्योंकि राज्य सभा में भाजपा का बहुमत नहीं था। इसलिए वे सरकारी विधेयकों को मनमान ढंग से पास करवाने में अंसारी का सहयोग चाहते थे। लेकिन अंसारी ने निर्धारित नियमों को जब ताक पर रखने से इनकार कर दिया तो यह भाजपा को सहन नहीं हुआ। भाजपा और संघ परिवार को इस बात से परेशानी है कि हामिद अंसारी की आत्मकथा से मोदी और उनकी सरकार का असली चेहरा बेनकाब हो जाएगा। मोदी को हर स्तर पर चाटुकारों की जरूरत है। विरोध में आवाज उठाने पर जो सरकार किसानों को सहन नहीं कर सकती वह भला हामिद अंसारी जैसे चिंतक को कैसे सहन करेगी?

समाचारपत्र का कहना है कि हामिद अंसारी ने डॉ. जाकिर हुसैन की याद ताजा कर दी है। ये वह व्यक्तित्व हैं जिनकी नजर में पद का कोई महत्व नहीं रहा। वे कभी भी सरकारी मुसलमान दिखाई नहीं दिए। उन्होंने इस्लाम विरोधी कोई हरकत नहीं की। उनका सिद्धांतवाद और ईमानदारी भाजपा को पसंद नहीं आई। यूपीए की सरकार ने उन्हें उपराष्ट्रपति बनाकर उन पर कोई उपकार नहीं किया था बल्कि योग्यता के आधार पर उन्हें यह जिम्मेवारी दी गई थी। गोदी मीडिया के एक एंकर द्वारा हामिद अंसारी को भी घेरने की कोशिश की गई। लेकिन मंझे हुए राजनयिक अंसारी उनकी चाल में नहीं आए। बल्कि एंकर को उसका स्थान बता दिया। उत्तर प्रदेश में विभिन्न कारणों से मुसलमानों की गिरफ्तारियां और उनके उत्पीड़न की घटनाओं ने हामिद अंसारी को झकझोर कर रख दिया। अधिकांश लोग सत्ता से हटने के बाद अपनी जुबान खोलते हैं लेकिन अंसारी ने अपने पद पर रहते हुए जिस साहस का प्रदर्शन किया है वह भाजपा को नहीं भाया। उनकी आत्मकथा के बाजार में आने से पूर्व ही आखिर क्यों इतना हंगामा हो रहा है? जाहिर है कि भाजपा और संघ परिवार को इस बात का खौफ है कि जनता में उनका वास्तविक चेहरा बेनकाब होगा और दुनिया भर में हिंदुस्तान की रूसवाई होगी।

मुंबई उर्दू न्यूज (3 फरवरी) में मुफ्ती मंजूर जियाई का एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसमें कहा गया है कि पूर्व उपराष्ट्रपति जैसे सम्मानित व्यक्ति ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि आज मुसलमान डरा हुआ है। देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही मुसलमानों को डरा दिया गया था और देश के आजाद होने के बाद इस डर को सुनियोजित ढंग से प्रोत्साहन दिया गया। कांग्रेस के शासनकाल में मुसलमानों को यह डराया गया था कि आप अगर हमें वोट नहीं देंगे तो ये साम्प्रदायिक तत्व आपको कच्चा चबा जाएंगे। इसलिए एक अरसे तक मुसलमान भयभीत होकर कांग्रेस को वोट देते रहे। जब मुसलमानों से उनका मोह भंग हुआ तो सेक्युलरिज्म की कथित झंडाबरदार पार्टियों की गोद में मुसलमानों ने शरण ली। लेकिन मुसलमानों के साथ सभी का व्यवहार लगभग एक जैसा ही था।

प्रत्येक राजनीतिक पार्टी ने सत्ता पाने के लिए मुसलमानों का राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल किया। कांग्रेस कई दशक तक केन्द्र और विभिन्न राज्यों में सत्तारूढ़ रही। इसी दौरान बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गईं और इसका

दुष्परिणाम 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत के रूप में हुआ। उर्दू भाषा को एक सुनियोजित योजना के तहत लगभग मिटा दिया गया। सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का अनुपात तेजी से घटता चला गया। संसद और विधान सभाओं में मुसलमान अपनी आबादी के अनुपात में जगह पाने में विफल रहे। क्योंकि कानून ऐसा बनाया गया था जिसमें मुसलमान कभो अपना जायज हिस्सा हासिल ही नहीं कर सकते थे। मुसलमान उम्मीदवार सिर्फ मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से ही जीत पाते थे। सच्चाई यह है कि बड़े से बड़ा सेक्युलर नेता इतनी हैसियत नहीं रखता कि वह गैर मुसलमानों के वोट किसी मुस्लिम उम्मीदवार को दिला सके। पार्टियों के नेताओं को इस बात का भी भय था कि कहीं हिंदू उनसे नाराज न हो जाएं। इसलिए सेक्युलर पार्टियों ने मुसलमानों को उनका जायज हिस्सा देने की कोशिश नहीं की। पहली बेइमानी टिकटों के बंटवारे से ही शुरू होती थी और वह आज भी हो रही है।

आजादी के बाद हजारों को संख्या में साम्प्रदायिक दंगे हुए जिनमें मुसलमानों को भारी जान व माल का नुकसान हुआ। हर बड़े दंगे के बाद जांच के लिए आयोग गठित किए गए। मगर उनकी रिपोर्टों को कभी लागू नहीं किया गया। यूपीए सरकार सभी तथाकथित सेक्युलर पार्टियों का एक झुंड थी। इसने सच्चर कमेटी बनाई और जस्टिस सच्चर ने अपनी रिपोर्ट में बता दिया कि आजादी के 50-55 वर्षों ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों से मुसलमानों को क्या हासिल हुआ है। सच्चर कमेटी की रिपोर्टों को लागू करने के लिए ढोंग तो बहुत रचा गया मगर हुआ कुछ नहीं। आज मुसलमान डर के खोल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। मुसलमानों को आधी शताब्दी तक डरा कर रखने और उसके भय के आधार पर शासन करने वाली कांग्रेस को जनता ने कूड़ेदान में फेंक दिया है। कांग्रेस के बाद अन्य तथाकथित सेक्युलर पार्टियों ने भी मुसलमानों के साथ यही व्यवहार किया है। बिहार में लालू यादव पन्द्रह वर्ष तक शासक रहे। यह सच है कि उनके शासनकाल में बिहार में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ मगर मुसलमानों की और कोई उपलब्धि नहीं हुई। पश्चिम बंगाल में भी यही स्थिति है। मुसलमानों के वोटों पर ममता, कांग्रेस और वामदलों की नजरें लगी हुई हैं। मगर अब मुसलमान होशियार हो चुका है और वह किसी के बहकावे में नहीं आने वाला। नेहरू से लेकर राहुल तक मुसलमानों को कोई जायज हक नहीं दे सका और अन्य कथित सेक्युलर पार्टियों का रिकॉर्ड तो इससे भी बदतर है।

टिप्पणी : पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी प्रारम्भ से ही विवादों में रहे हैं। उन पर यह आरोप लगता रहा है कि वे वैचारिक दृष्टि से एक कट्टर मुसलमान हैं। उनका जन्म 1937 में कोलकाता में हुआ था और उनकी शिक्षा-दीक्षा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुई थी। 1961 में वे भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए और एक दर्जन देशों में भारत के राजदूत रहे। 1984 में उन्हें पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया। मई 2000-2004 तक वे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे। 2007 में कांग्रेस ने उन्हें उपराष्ट्रपति के चुनाव में मैदान में उतारा और वे चुनाव जीत गए। 2012 में उनके कार्यकाल में 5 वर्ष की वृद्धि की गई। उपराष्ट्रपति पद के विदाई समारोह में अंसारी ने यह कह कर सनसनी फैला दी थी कि इस देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं। कहा जाता है कि 30 दिसंबर 2011 को संसद के शीतकालीन सत्र का

अंतिम दिन था और अन्ना हजारे आंदोलन के कारण लोकपाल विधेयक पर गरमा-गरम चर्चा हो रही थी। आधी रात के बाद अंसारी ने सदन के अध्यक्ष पद को संभाला और मतदान करवाने की बजाय अचानक सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। आरोप यह लगाया गया कि अंसारी ने यह कदम कांग्रेस सरकार को हार से बचाने के लिए उठाया था।

विवादों की है यह लम्बी सूची

भारत की प्रमुख गुप्तचर एजेंसी रॉ के कुछ पूर्व अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक पत्र लिखकर यह आरोप लगाया था कि जब हामिद अंसारी ईरान में भारतीय राजदूत थे तो उन्होंने ईरान सरकार और वहां की गुप्तचर एजेंसी को अतिगोपनीय सूचनाएं लीक करके रॉ के एक महत्त्वपूर्ण ऑपरेशन को पलीता लगा दिया था। रॉ के एक अधिकारी संदीप कपूर को ईरान में वहां की गुप्तचर एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। उस समय भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने राजदूत हामिद अंसारी को यह निर्देश दिया था कि वे व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करके कपूर को रिहा कराने का प्रयास करें। मगर नई दिल्ली के इस निर्देश को अंसारी ने नजरअंदाज करके भारत सरकार को यह झूठी रिपोर्ट दी कि संदीप कपूर लापता हैं। इन अधिकारियों ने यह भी आरोप लगाया था कि रॉ को यह सूचना मिली थी कि कुछ कश्मीरी आतंकवादियों को ईरान के एक नगर कोम में अस्त्र-शस्त्र चलाने का गुप्त प्रशिक्षण दिया जाता है। मगर यह सूचना अंसारी ने ईरान सरकार को लीक कर दी थी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था और 2015 में पहला योग दिवस मनाया गया। मगर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी इस कार्यक्रम से गायब थे। भाजपा के महासचिव राममाधव ने अंसारी की अनुपस्थिति पर सवाल भी उठाया था। 2015 में ही गणतंत्र दिवस परेड में राष्ट्रीय ध्वज को अंसारी द्वारा सलामी न लेने का मुद्दा भी चर्चा में आया।

ग्रेटर नोएडा में जब एक व्यक्ति अखलाक की हत्या की गई तो अंसारी उस पर टिप्पणी करने से बाज नहीं आए। उन्होंने सीधे तौर पर मोदी सरकार पर यह आरोप भी लगा दिया कि केन्द्र सरकार को मुसलमानों के साथ हो रहे भेदभाव को दूर करना चाहिए। तीन वर्ष पूर्व जब सर्वोच्च न्यायालय ने फिल्म शुरू होने से पूर्व राष्ट्रीय गान अनिवार्य किया था तो मद्रास उच्च न्यायालय ने वंदेमातरम को लेकर एक फैसला दिया था। उस पर भी टिप्पणी करते हुए अंसारी ने कहा था कि मैं इसे असुरक्षा की भावना ही कहूंगा। दिन-रात अपना राष्ट्रवाद दिखाना फिजूल है। मैं एक भारतोय हूं और इतना ही काफी है।

सन 2018 में जब अलीगढ़ विश्वविद्यालय में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के चित्र लगाने पर विवाद शुरू हुआ था तो अंसारी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र संघ को पत्र लिखकर जिन्ना के चित्र लगाने का समर्थन किया था। 2018 में ही शरिया अदालतों के पक्ष में भी अपना बयान देकर उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। उन्होंने कहा था कि लोग सामाजिक प्रथाओं को कानून व्यवस्था से भ्रमित कर रहे हैं। भारत में पर्सनल लॉ शादी, तलाक, गोद लेने और उत्तराधिकार पर लागू होता है। हर समुदाय को अपने पर्सनल लॉ पर चलने का पूरा अधिकार है।

पॉपुलर फ्रंट और अन्य अतिवादी मुस्लिम संगठन किसान आंदोलन के साथ

इंकलाब (31 जनवरी) के अनुसार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चेयरमैन ओ.एम.ए. सलाम ने केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को समाप्त करने के लिए ताकत का इस्तेमाल और अलोकतांत्रिक रवैया अपनाने की निंदा की है। सलाम ने किसानों पर दक्षिणपंथी गुंडों के हमलों पर भी चिंता प्रकट की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि संघ परिवार किसानों को प्रदर्शनों के स्थान से हटाकर विरोध को समाप्त करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल कर रहा है। सत्तारूढ़ दल और उसके गोदी मीडिया द्वारा किसानों पर किए जा रहे हमलों को स्थानीय लोगों का स्वाभाविक विरोध बताकर उसे उचित ठहराने की कोशिश की जा रही है। किसानों को धमकाने और उनके शांतिपूर्ण तथा लोकतांत्रिक विरोध को जबरन समाप्त कराने क केन्द्र और उत्तर प्रदेश सरकार के सभी पयास विफल रहे हैं।

ये प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में फैलते नजर आ रहे हैं और हजारों की संख्या में लोग इन प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं। अब सरकार क्योंकि किसानों को उनके धरनास्थलों से हटाने में विफल रही है इसलिए पुलिस संघ परिवार से संबंधित शरारती तत्वों को धरना स्थलों पर ले जाकर अशांति पदा करने की अनुमति दे रही है। सलाम ने कहा है कि यही हथकंडा दिल्लो और उत्तर प्रदेश में नागरिकता कानूनों के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों को समाप्त करने के लिए भी अपनाया गया था। सिंघु, टिकरी और गाजीपुर सीमा पर धरनास्थलों पर स्वयं को स्थानीय बताने वाल गुंडों द्वारा किसानों के खिलाफ उत्तेजनात्मक कार्रवाई की जा रही है। जब आरएसएस के गुंडे किसानों को मार रहे थे तो पुलिस और आरएएफ के जवान मूकदर्शक बने हुए थे। पॉपुलर फ्रंट के चेयरमैन ने नागरिकों से अपील की है कि वे देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए किसानों के साथ खड़े हों।

रोजनामा सहारा (3 दिसंबर) के अनुसार जमात-ए-इस्लामी दिल्ली के अमीर अब्दुल वाहिद के नेतृत्व में जमात-ए-इस्लामी के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर का दौरा किया और किसानों को पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया।

इंकलाब (3 दिसंबर) के अनुसार मजलिस-ए-उलेमा ने भी यह मांग की है कि सरकार इन काले कानूनों को वापस ले। ये कानून पूंजीपतियों के दबाव में सरकार ने बनाए हैं जो कि उपभोक्ताओं और किसानों दोनों के हितों के खिलाफ ह।

इंकलाब (4 दिसंबर) के अनुसार इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, दिल्ली के अध्यक्ष मौलाना निसार अहमद नक्शबंदी ने धरनास्थल पर जाकर किसानां से मुलाकात की और कहा कि वर्तमान सरकार की कृषि संबंधी नीति राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है। चुनाव से पूव भाजपा ने यह वायदा किया था कि वह सत्ता में आने के बाद स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करेगी मगर सरकार अपने वायदे से मुकर गई है और वह किसान विरोधी कानून ल आई है।

इंकलाब (1 दिसंबर) के अनुसार जमोयत-ए-उलेमा हरियाणा और मेवात विकास

सभा ने भी किसानों की मांगों का समर्थन किया है और सरकार से मांग की है कि वह ये काले कानून वापस ले। एक अन्य समाचार के अनुसार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संयोजक मुफ्ती मोहम्मद नसीम रहमानी ने सिंघु बॉर्डर पर किसानों को संबोधित करते हुए मुसलमानों के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया है और कहा है कि शाहीन बाग की तर्ज पर किसानों को देश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए।

इंकलाब (28 दिसंबर) के अनुसार हाफिज नूर अहमद महामंत्री सुन्नी उलेमा काउंसिल ने इस बात की निंदा की है कि भाजपा की सरकारें तानाशाही पर उतर आई हैं और धरना देने वाले किसानों की जायज मांगों को स्वीकार करने की बजाय उन पर देशद्रोही होने का आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि देश में हर व्यक्ति को प्रदर्शन करने का संवैधानिक अधिकार है मगर यह तानाशाह सरकार दिल्ली की सीमाओं पर दीवारें बनाकर और कीलें गाड़कर जनाधिकारों का हनन कर रही है और वह हिटलरशाही तरीकों से इस जनांदोलन को कुचलना चाहती है।

इंकलाब (14 दिसंबर) के अनुसार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सिंघु बॉर्डर पर पहुंचकर उन्हें पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया है।

इंकलाब (26 जनवरी) के अनुसार इंसाफ मंच ने बिहार में विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन करके 'देश बचाओ, संविधान बचाओ, खेती बचाओ' के नारे लगाकर प्रदर्शन किया। इंसाफ मंच के एक प्रतिनिधिमंडल ने शाह अलवी अल कादरी के समर्थन में एक ज्ञापन देश के राष्ट्रपति को भेजा है जिसमें यह मांग की गई है कि वे हस्तक्षेप करके इन तीनों काले कानूनों को रद्द करवाएं।

इंकलाब (8 फरवरी) के अनुसार पानीपत में मुस्लिम संगठन मजलिस-ए-अहरार द्वारा किसान पंचायत का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता कारी सैयद उल जमान ने की। इस पंचायत में विभिन्न मुस्लिम संगठन भी शामिल हुए और उन्होंने किसान आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की। पंचायत में यह मांग की गई कि मोदी सरकार इन तीनों काले कानूनों को वापस ले।

किसान यूनियन मंच पर मुसलमान और जाट एकजुट

इंकलाब (31 जनवरी) के अनुसार किसान आंदोलन ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट बहुल क्षेत्र में मुसलमानों और जाटों के बीच आठ वर्ष के बाद पुनः एकता स्थापित कर दी है। हाल ही में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान महापंचायतें हुई हैं उनमें भी मुस्लिम नेता अपने समर्थकों के साथ भारी संख्या में शामिल हुए हैं। ज्ञातव्य है कि मुजफ्फरनगर के कवाल गांव में 2013 में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के कारण मुसलमानों और जाटों के बीच हिंसक दंगे हुए थे जिनमें कम-से-कम 65 लोग मारे गए थे और लाखों लोग बेघर हो गए थे। इस घटना के बाद जाट सामूहिक रूप से भाजपा में शामिल हो गए थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई महापंचायतों में जो प्रमुख मुस्लिम नेता शामिल हुए हैं उनमें पूर्व सांसद अमीर आलम, पूर्व विधायक नवाजिश आलम, विधायक नाहिद हुसन, हाजी लियाकत, पूर्व विधायक इमरान मसूद और गुलाम मोहम्मद जोला शामिल हुए।

मुख्तार अंसारी पर उत्तर प्रदेश और पंजाब सरकार में टकराव

इंकलाब (9 फरवरी) के अनुसार बहुजन समाज पार्टी के विधायक और पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश भेजने के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार और पंजाब सरकार में ठन गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। न्यायालय में दोनों सरकारों के वकीलों के बीच जोरदार झड़पें हुईं। इसके बाद न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के लिए 24 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। पंजाब सरकार का दावा है कि अंसारी का स्वास्थ्य ऐसा नहीं कि उसे उत्तर प्रदेश भेजा जा सके। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पंजाब सरकार को निशाना बनाते हुए कहा है कि एक माफिया को बचाने के लिए पंजाब सरकार की ऐसी रुचि समझ में नहीं आती। उन्होंने कहा कि अंसारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एक दर्जन से ज्यादा मामले विचाराधीन हैं और न्यायालय में हाजिर नहीं होने के कारण इन मामलों में देरी हो रही है। इसके जवाब में मुख्तार आंसरी के वकील मुकुल रोहतगी ने मांग की कि अंसारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी मुकदमों को पंजाब में स्थानांतरण किया जाए। पंजाब सरकार के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि पंजाब सरकार कानून के तहत ही कार्य कर रही है और अंसारी को मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश नहीं भेजा जा सकता। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा न्यायालय में दायर याचिका को भी खारिज करने की मांग की।

ज्ञातव्य है कि अंसारी इस समय पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। उसे उत्तर प्रदेश लाने के लिए सरकार 35 बार प्रयास कर चुकी है लेकिन पंजाब का जेल प्रशासन हर बार मुख्तार अंसारी के बीमार होने की बात कहकर उत्तर प्रदेश पुलिस को वापस भेज देता है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर महीने में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि पंजाब सरकार ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक

मुकदमा दर्ज किया था और इस बहाने उसे बांदा जेल से पंजाब ले आई थी और अब उसे वापस नहीं भेज रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार से जवाब दायर करने का निर्देश दिया था। इसमें पंजाब सरकार ने कहा है कि मुख्तार अंसारी के बीमार होने के कारण उत्तर प्रदेश नहीं भेजा जा रहा और उसे डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर रोका गया है। सॉलिसिटीर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दर्ज केस गंभीर हैं। पंजाब में इन गंभीर केसों की सुनवाई एक साथ नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि एक अपराधी अपने खिलाफ कहीं एफआईआर दर्ज करवा लेता है और फिर वह जानबूझकर अपनी जमानत की अर्जी दायर नही करता और वह जेल में मौज उड़ा रहा है।

खास बात यह है कि मुख्तार अंसारी ने सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हलफनामे में यह दावा किया है कि उसका संबंध एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से है और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी उसके रिश्तेदार हैं। उसके दादा शौकत उल्लाह अंसारी उड़ीसा के राज्यपाल रहे हैं एवं न्यायाधीश आसिफ अंसारी भी उसके परिवार के हैं जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अंसारी को आतंकवादी बताया है और कहा है कि पंजाब सरकार उसका समर्थन कर रही है। अंसारी पंजाब में 5 स्टार सुविधा पा रहा है। जबकि उसके खिलाफ हत्या सहित अन्य गंभीर मामले विचारधीन हैं। दो वर्ष पूर्व उसे एक केस के सिलसिले में पंजाब लाया गया था। तब से पंजाब सरकार उसे वापस नहीं भेज रही है।

उत्तर प्रदेश में अंसारी के बेटों और पत्नी के खिलाफ भी अनेक मुकदमें विचाराधीन हं। हालांकि इन मुकदमों में अंसारी की पत्नी को अग्रिम जमानत दी जा चुकी है। उसकी पत्नी पर जमीन में फर्जीवाड़े में शामिल होने का आरोप है। गजल हाटल के निर्माण को लेकर प्रशासन ने अनेक अनियमितताएं पाई थीं। पिछले वर्ष के सितंबर महीने मं मुख्तार अंसारी की पत्नी और उसके दोनों बेटों के साथ-साथ 12 अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया है कि अंसारी के बेटे और उसकी पत्नी अपने पासपोर्ट गाजीपुर पुलिस के पास जमा करवाएं। न्यायालय ने अंसारी के दोनों बेटों अब्बास और उमर सहित पत्नी को 50-50 हजार निजी मुचलकों और दो जमानतदारों के आधार पर अंतरिम राहत दी है। न्यायालय ने यह आदेश दिया था कि मुख्तार के दोनों बेटे विदश यात्रा नहीं जा सकेंगे ओर वे गजल होटल की जमीन से जुड़े मामले के किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे। न्यायालय ने यह भी साफ किया है कि अगर अब्बास और उमर न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करते तो ऐसे में विवेचना अधिकारी दोनों की अग्रिम जमानत को रद्द करने की अर्जी दे सकते हैं।

मुख्तार अंसारी मऊ से पांच बार विधायक निर्वाचित हो चुका है। उस पर भाजपा के नेता कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप था। उसे बाद में न्यायालय ने इस आरोप से बरी कर दिया था। मुख्तार अंसारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे डॉ. एम.ए. अंसारी का पोता है। कहा जाता है कि 1970 में सरकार ने पूर्वांचल क्षेत्र में अनेक विकास की परियोजनाएं शुरू की थी,

जिनके ठेके लेने के प्रश्न पर विभिन्न माफिया गिरोहों में ठन गई थी। मुख्तार अंसारी भी इनमें से एक गिरोह में शामिल था। 1995 में मुख्तार अंसारी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र संघ का नेता बना। 1996 में वह विधायक चुना गया और उसकी एक अन्य कुख्यात माफिया ब्रजेश सिंह से ठन गई। 2002 में दोनों गुटों में हुई भिडंत के कारण अंसारी के तीन आदमी मारे गए और ब्रजेश सिंह घायल हो गया। अंसारी के प्रभाव को कम करने के लिए उसके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी ब्रजेश सिंह ने भाजपा के नेता कृष्णानंद राय का साथ दिया, जिसके कारण अंसारी के भाई और मोहम्मदाबाद से पांच बार निर्वाचित अफजल अंसारी को हार का मुंह देखना पड़ा। बाद में मुख्तार अंसारी को एक मुकदमें में गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। इसी दौरान कृष्णानंद राय और उनके छह अन्य सहयोगियों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मुकदमें के एक महत्त्वपूर्ण गवाह शशिकांत राय की 2006 में रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो गई। पुलिस ने उसकी मौत को आत्महत्या करार देकर मामला ठप कर दिया। अंसारी का विरोधी ब्रजेश सिंह जेल से फरार हो गया। बाद में उसने अपना एक नया राजनीतिक दल प्रगतिशील मानव समाज पार्टी बनाया। 2007 में मुख्तार अंसारी और उसक भाई अफजल अंसारी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। अंसारी ने 2009 में वाराणसी से बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा मगर भाजपा के नेता मुरली मनोहर जोशी के मुकाबले में उसे मुंह की खानी पड़ी। 2009 में उसे कपिल देव सिंह की हत्या के मामले में दो अन्य व्यक्तियों के साथ गिरफ्तार किया गया। 2010 में उसके खिलाफ हत्या का एक और मुकदमा दर्ज हुआ। इसी वर्ष इन दोनों भाईयों को बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने एक नई पार्टी कौमी एकता दल का गठन किया। मार्च 2014 में अंसारी ने वाराणसी में नरेन्द्र मोदी के मुकाबले चुनाव लड़ा मगर बुरी तरह से हारा। 2017 में वह पुनः बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गया और मऊ क्षेत्र से चुनाव जीता।

दैनिक सहाफत (3 फरवरी) के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस विधायक मुख्तार अंसारी के फरार बेटे अब्बास अंसारी को जब तलाश कर रही थी और उसकी गिरफ्तारी के लिए 25 हजार इनाम की घोषणा की जा चुकी थी उसी समय अब्बास अंसारी उत्तर प्रदेश से फरार होकर राजस्थान पहुंच गया। वहां की कांग्रेस सरकार ने उसे संपूर्ण संरक्षण प्रदान करने के अतिरिक्त राज्य के अतिथि का दर्जा भी प्रदान कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि अब्बास अंसारी ने बड़ी शान के साथ वहां पर अपना निकाह भी करवा लिया और निकाह की फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक अलका राय ने प्रियंका गांधी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उनसे यह अनुरोध किया है कि कांग्रेस अपराधियों को संरक्षण देना बंद करे ताकि लोगों को न्याय मिल सके। बताया जाता है कि अब उत्तर प्रदेश पुलिस फरार अब्बास अंसारी को राजस्थान में छापा मारकर हिरासत में लेने का प्रयास कर रही है। मगर अभी तक उसे इसमें सफलता नहीं मिली है।

कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी जमानत पर रिहा

सहाफत (8 फरवरी) के अनुसार हिंदू देवी-देवताओं पर विवादित टिप्पणी करने के आरोपी कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत पर रिहा कर दिया है। समाचारपत्र के अनुसार हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने फारूकी की जमानत मंजूर कर ली थी। मगर इंदौर जेल के अधिकारी जेल से रिहा करने के मामले में टालमटोल कर रहे थे। जब इस बात की जानकारी सर्वोच्च न्यायालय को मिली तो न्यायालय के एक न्यायाधीश ने इंदौर जेल के अधिकारियों को फोन करके फटकार लगाई, जिसके बाद उसे जेल से रिहा कर दिया गया। सेंट्रल जेल के अधिकारियों का कथन था कि फारूकी के खिलाफ प्रयागराज की एक न्यायालय में भी मुकदमा दर्ज है इसलिए उसे जेल से रिहा करने में कानूनी अड़चन है। फारूकी ने जेल से रिहा होने के बाद पत्रकारों को बताया कि उसे अपन देश के प्रशासन और न्याय व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है। फारूकी के एक मित्र ने बताया कि जब फारूकी को जेल स रिहा नहीं किया गया तो उसन इंदौर के मुख्य न्याय अधिकारी से इस संबंध में संपक स्थापित किया था। इसके बाद उसे जेल से रिहा कर दिया गया है।

फारूकी की रिहाई पर टिप्पणी करते हुए **मुंबई उर्दू न्यूज** (8 फरवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि आज देश में अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से मुसलमानों को टाडा वाले युग से भी ज्यादा मुश्किल युग से गुजरना पड़ रहा है। केन्द्र और राज्यों में भाजपा की सरकारों का उत्पीड़न यह बता रहा है कि देश में फासीवाद का युग है। सरकार से मतभेद रखने वाले

अल्पसंख्यकों, मुसलमानों, किसानों एवं पत्रकारां की अब बिल्कुल खैर नहीं। न्यायाधीशों में भी पहले जैसा नैतिक साहस नजर में नहीं आ रहा है। न्यायाधीश अब बेखौफ और बेबाक फैसले नहीं सुना पा रहे हैं। वे सरकार की पेशानी पर बल लाने वाले फैसलों से बचने की कोशिश करत दिखाई देते हैं। राजनीतिक प्रवेक्षक बार-बार इस ओर ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि गत कुछ वर्षों में लोकतंत्र का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ न्यायपालिका भी कमजोर हुई है। जब लोकतांत्रिक संस्थान ही कमजोर होते चले जाएंगे तो मुनव्वर फारूकी ही नहीं किसी के साथ भी कुछ हो सकता है।

ज्ञातव्य है कि गुजरात के एक कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी अपने कार्यक्रम में हिंदू देवी-देवताओं और गह मंत्री अमित शाह पर कुछ अभद्र टिपपणी करने के आरोप में एक जनवरी से इंदौर सेंट्रल जेल में बंद था। उस पर यह आरोप भाजपा की एक विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ के पुत्र एकलव्य सिंह गौड़ ने लगाया था। जब फारूकी को जिला न्यायालय और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से जमानत नहीं मिली तो उसे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा जिसने उसे अंतरिम जमानत दे दी। मगर इसके

साथ ही उसके खिलाफ प्रयागराज के एक न्यायालय नें दर्ज मुकदमें के सिलसिले में जारी पेशी वारंट पर भी रोक लगा दी। लेकिन इंदौर सेंट्रल जेल प्रशासन ने उसे इस आधार पर रिहा करने से इनकार कर दिया कि प्रयागराज के एक न्यायालय ने उसके खिलाफ पेशी वारंट जारी किया है। इसलिए देर रात सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को इंदौर के चीफ ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट को फोन करके न्यायालय के निर्देशों के लिए वेबसाइट देखने और उसको कार्यान्वत करने के लिए कहना पड़ा। इंदौर सेंट्रल जेल के इंस्पेक्टर राजेश बांगडे के अनुसार उन्हें पहले यह आदेश नहीं मिला था। जेल के एक अधिकारी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश सही सूत्रों से मिलने के बाद कॉमेडियन को 50 हजार की जमानत और इतनी ही रकम की मुचलके पर जेल से रिहा करने का आदेश दिया है।

द वायर (उर्दू) की एक रिपोर्ट के अनुसार मुनव्वर फारूकी को हालांकि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मगर बाद में पुलिस ने यह स्वीकार किया था कि पुलिस के पास इस आरोप की पुष्टि का कोई आधार नहीं है। इसके बाद पुलिस ने यह भी कहा था कि मुनव्वर फारूकी क्योंकि भविष्य में हिंदुओं की धार्मिक भावना को आहत करने वाली टिप्पणी कर सकता है इसलिए उसे जमानत न दी जाए। पुलिस का यह भी कहना था कि फारूकी की गिरफ्तारी भाजपा के विधायक के बेटे की गवाही पर की गई है जिसमें यह दावा किया गया था कि उसने फारूकी को उस कॉमेडियन एक्टर की रिहर्सल करते हुए सुना था जिसे वे अपनी कार्यक्रम के सिलसिले में पेश करने वाले थे। सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत दिए जाने वाले मामले की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की थी कि इस मामले में 2014 के सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों पर अमल नहीं किया गया है। सीआरपीसी की धारा 41 में भी इसका स्पष्टीकरण मौजूद है। इसके साथ ही न्यायालय ने इस संबंध में मध्य प्रदेश की सरकार को नोटिस भी जारी किया गया था। पुलिस और जेल अधिकारियों के रवये और कोर्ट-कचहरी के बखेड़े से बचने के लिए अल्पसंख्यकों और उन सभी लोगों को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है जो कि सरकार और उसकी नीतियों से मतभेद रखते हैं।

केन्द्रीय बजट और मुसलमान

हमारा समाज ने 2 फरवरी के अंक में आम बजट की आलोचना करते हुए कहा है कि इस बजट में मुसलमानों और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा की गई है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बार-बार यह राग अलापते थे कि मोदी शासन में अल्पसंख्यकों हेतु निर्धारित बजट में वृद्धि की जाती रही है। मगर 2021-22 के बजट में निर्धारित धनराशि में 219 करोड़ की कटौती की गई है। हालांकि मुख्तार अब्बास नकवी ने यह सफाई पेश की है कि कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था को जो झटका लगा है उसके कारण उनके मंत्रालय के बजट में कटौती करनी पड़ी है। गत वर्ष अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट 5029 करोड़ था जो कि अब घटकर 4810 करोड़ रह गया है। पहले मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों के साथ थोड़ा सा न्याय किया था मगर इस वर्ष

'सबका साथ, सबका विकास' के सिद्धांत को ताक पर रख दिया गया है। हालांकि यह भी दावा किया गया है कि बजट में कटौती का मुख्य कारण यह है कि पिछले वर्ष बजट में जो धनराशि निर्धारित की गई थी उसे खर्च ही नहीं किया गया है। बजट में निर्धारित 5029 करोड़ रुपये में से कुल 4005 करोड़ ही खर्च हो पाए। नकवी ने यह सफाई पेश की है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय को फंड की कमी नहीं होने दी जाएगी।

दूसरी ओर कांग्रेस के नेता और पूर्व अल्पसंख्यक मंत्री के. रहमान खान के अनुसार इस बजट में मुसलमानों के साथ जानबूझकर अन्याय किया गया है। आम तौर पर बजट बनाते समय विभिन्न मंत्रालयों के लिए जो बजट का प्रावधान किया जाता है उसमें हर वर्ष दस प्रतिशत की वृद्धि की जाती है। अगर इस सिद्धांत को माना जाता तो अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट 8000 करोड़ के लगभग हो जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि वर्तमान बजट से अल्पसंख्यकों की शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक योजनाओं को भारी झटका लगेगा। नकवी ने यह सफाइ दी है कि 20 अन्य मंत्रालयों की विकास योजनाओं में अल्पसंख्यकों की भागीदारी रहती है इसलिए इस कटौती का कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारा यह प्रयास है कि देश की सिविल सेवाओं में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए ज्यादा-से-ज्यादा धनराशि खर्च की जाए ताकि वे इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पूरी लगन से काम कर सकें। इसके लिए उन्हें न केवल विशेष छात्रवृत्तियां ही प्रदान की जाती हैं बल्कि उन्हें इन प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क शिक्षा भी दी जाती है। समाचारपत्र ने गत कई वर्षों के अल्पसंख्यक मंत्रालय के वार्षिक बजट का विवरण भी प्रकाशित किया है, जिसके अनुसार

2010-11 में यह बजट 2600 करोड़ का था जो कि 2011-12 में बढ़कर 2800 करोड़ का हो गया। 2012-13 में यह धनराशि 3100 करोड़, 2013-14 में 3511 करोड़ तक पहुंची और 2014-15 में 3711 करोड़ हो गई। 2015-16 में इसमें सिर्फ दो करोड़ की वृद्धि की गई और यह 3713 करोड़ तक पहुंच गई। 2016-17 में 3800 करोड़, 2017-18 में 4195 करोड़, 2018-19 में 4700 करोड़, 2019-20 में 4700 करोड़, 2020-21 में 5029 करोड़ और 2021-22 में 4810 करोड़ हो गई।

दैनिक सियासत (3 फरवरी) के अनुसार भारत सरकार के इस बजट से मुसलमानों को कोई फायदा नहीं होगा बल्कि उन्हें नुकसान ही होगा। आम बजट का जो बोझ नागरिकों पर पड़ेगा उससे मुसलमानों की आर्थिक पिछड़ेपन में वृद्धि होगी। 2020-21 के बजट में हालांकि अल्पसंख्यकों के लिए 5 हजार 29 करोड़ की व्यवस्था की गई थी मगर बाद में उसमें एक हजार 24 करोड़ की कटौती की गई जिसके कारण यह बजट घटकर 4 हजार 5 करोड़ का रह गया। विभिन्न मंत्रालयों की समाज कल्याण योजनाओं में जो कटौती की गई है उसका प्रभाव भी मुसलमानों की विकास योजनाओं पर पड़ेगा।

अवधनामा (2 फरवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि यह बजट मुसलमानों के लिए निराशाजनक है और शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि आरएसएस से संबंधित दो संगठनों ने इस बजट की आलोचना की ह और कहा है कि इससे आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना पर बुरा असर पड़ेगा। बीमा एक्ट में संशोधन करके एफडीआई की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत किए जाने से विदेशों पर निर्भरता में वृद्धि होगी।

सियासत (2 फरवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि पिछले वर्ष सरकार बजट के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में पूरी तरह से विफल रही है।

इत्तेमाद (2 फरवरी) के अनुसार अगले वर्ष के बजट में मुसलमानों के लिए 1378 करोड़ की व्यवस्था प्री-मैट्रिक के लिए और 468 करोड़ की व्यवस्था पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियों के लिए की गई है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने इस बजट को देश को आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्त्वपूर्ण कदम बताया है। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि इस बजट का लक्ष्य आने वाले राज्य विधान सभाओं के चुनाव में भाजपा के लिए वोट बटोरना है इसलिए पश्चिम बंगाल के साथ-साथ तमिलनाडु, केरल और असम पर वित्त मंत्री बहुत मेहरबान रही हैं और इन राज्यों के लिए भारी धनराशि का प्रावधान किया गया है।

रोजनामा सहारा (2 फरवरी) ने इस बजट को निराशाजनक बताया है और कहा है कि इससे नौकरी-पेशा वर्ग को काफी निराशा हुई है। आने वाले राज्यों के चुनाव को देखते हुए केरल के हाईवे प्रोजेक्ट के लिए 65 हजार करोड़, पश्चिम बंगाल के हाइवे के लिए 25 हजार करोड़ और असम में सड़कों के निर्माण के लिए 3400 करोड़ की व्यवस्था की गई है। समाचारपत्र ने इस बात की आलोचना की है कि हालांकि चीन और पाकिस्तान के साथ रिश्ते तनावपूर्ण हैं मगर इसके बावजूद वर्तमान रक्षा बजट में कोई वृद्धि नहीं की गई है। मुसलमानों के लिए भी यह बजट निराशाजनक है।

अफगानिस्तान में विस्फोटक स्थिति का खतरा

कौमी तंजीम (4 फरवरी) के अनुसार अमेरिका के नए राष्ट्रपति ने अफगानिस्तान में अमरिका और तालिबान के बीच चल रही शांति वार्ता के संबंध में जो कड़ा रूख अपनाया है, उसके कारण अफगानिस्तान में विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई है।

रोजनामा सहारा (7 फरवरी) के अनुसार तालिबान ने यह धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने अपनी पुरानी नीति से मुंह मोड़ा तो अफगानिस्तान में भीषण युद्ध छिड़ सकता है। इसके साथ ही तालिबान ने वहां पर अपनी सैनिक गतिविधियां भी बढ़ा दी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बात पर जोर दिया था कि तालिबान के साथ शांति वार्ता को सिर्फ तभी जारी रखा जाएगा जब तालिबान सेना पर हमलों का सिलसिला बंद कर देंगे। उनका यह बयान ट्रम्प प्रशासन द्वारा अपनाई जा रही नीति के सरासर खिलाफ है। तालिबान ने अफगान सेना पर अपने हमले तेज कर दिए हैं और गत दो दिनों में कम-से-कम तीन दर्जन से अधिक अफगान सैनिकों की हत्या कर दी हैं। अमरिका ने यह संकेत दिया है कि वह चल रही शांति वार्ता को फिलहाल स्थगित कर रहा है। तालिबान के एक प्रवक्ता ने यह धमकी दी है कि अगर अमेरिका पिछले वर्ष फरवरी में तय हुए शांति समझौते से पीछे हटा तो उसे जबर्दस्त सबक सिखाया जाएगा।

अमेरिका के नए प्रशासन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी का मामला खटाई में डाल दिया है। अफगानिस्तान रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने यह स्वीकार किया है कि हाल ही में तालिबान द्वारा अफगान चौकियों पर हमलों में तेजी आई है। 'द अफगान स्टडी ग्रुप' ने अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया है कि अमेरिका ने तालिबान से जो वायदे किए थे अगर उन्हें लागू

नहीं किया गया तो अफगानिस्तान में भीषण गृह युद्ध छिड़ सकता है और आतंकवादी संगठन अलकायदा सत्ता पर काबिज हो सकतो है। तालिबान की वेबसाइट पर एक टिप्पणी में तालिबान ने इस आरोप का खंडन किया है कि व शांति वार्ता में तय की गई शर्तों को पूरा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ने अपने वायदे को पूरा नहीं किया तो उसके कारण छिड़ने वाली भीषण युद्ध की जिम्मेवारी अमेरिका की होगी। तालिबान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वह धमकी देना बंद करे क्योंकि इससे हालात बिगड़ेंगे जो कि अमेरिका, अफगानिस्तान और तालिबान के हितों में नहीं होगा।

ज्ञातव्य है कि गत वर्ष अमेरिका और तालिबान के बीच हुए समझौते के फलस्वरूप अमेरिकी सैनिकों की संख्या 13 हजार से कम होकर ढ़ाई हजार रह गई है। इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार अफगान फौज की जवाबी कार्रवाई में एक दिन के अंदर 19 तालिबान मारे गए और 13 घायल हुए हैं। इसके अतिरिक्त कंधार में भी सैनिक अभियान में दस तालिबान मारे गए हैं और 9 घायल हुए हैं।

इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किए गए एक विश्लेषण के अनुसार अफगानिस्तान, सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट और अलकायदा के हमलों में तेजी आने की संभावना है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 के अंतिम छह महीनों में इन क्षेत्रों में आतंकवादियों की गतिविधियों में इसलिए तेजी आई है क्योंकि कोरोना महामारी के चलते सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान की गति कम हुई है। इसका लाभ इस्लामिक जिहादियों ने उठाया। सीरिया, इराक और अफगानिस्तान के कई क्षेत्रों में इस्लामिक स्टेट के जिहादियों ने बड़े हमले की तैयारी शुरू कर दी है। इसके अतिरिक्त पश्चिम एशिया में इजरायल और कुछ अरब देशों के बीच अमेरिका के दबाव पर जो संबंधों में सुधार हुआ है वह भी इन जिहादी इस्लामिक संगठनों को पसंद नहीं आया। जहां तक अफगानिस्तान का संबंध है गत वर्ष फरवरी में अमेरिका और तालिबान के बीच समझौते के बावजूद अफगानिस्तान में जिहादियों की गतिविधियों में तेजी आई है। गत दो महीने में अफगानिस्तान में 600 से अधिक नागरिक मारे जा चुके हैं। जबकि गत चार महीने में ढ़ाई हजार सुरक्षा बलों के मारे जाने की रिपोर्ट है। अफगान मामलों के विशेषज्ञ पत्रकार ताहिर हुसैन ने यह शंका व्यक्त की है कि अफगानिस्तान में आने वाले दिनों में स्थिति और भी बिगड़ सकती है।

इंडोनेशिया में स्कार्फ पहनने की अनिवार्यता समाप्त

इंकलाब (7 फरवरी) के अनुसार इंडोनेशिया की सरकार ने देश भर में छात्राओं के लिए स्कार्फ का इस्तेमाल करने की अनिवार्यता को हटा दिया है। इंडोनेशिया के शिक्षा मंत्री नदीम मुकर्रम ने कहा कि देश के जो स्कूल छात्राओं के लिए स्कार्फ का इस्तेमाल करने पर जोर देंगे उनकी सरकारी ग्रांट बंद कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वेशभूषा व्यक्तिगत पसंद की बात है इसलिए कोई स्कूल किसी पर दबाव नहीं डाल सकता। स्कार्फ पहनने पर हाल ही में देश में तब विवाद शुरू हुआ था

जब पश्चिमी सुमात्रा के पडंग में सभी ईसाई छात्राओं को स्कार्फ पहनने पर मजबूर किया गया था, जिसका वहां की छात्राओं ने विराध किया था। इस पर अनेक छात्राओं को स्कूल से निकाल दिया गया था। ईसाई छात्राओं के अभिभावकों ने इसके लिए देशव्यापी सोशल मीडिया अभियान चलाया था। इस पर विश्व मानवाधिकार संगठनों ने इंडोनेशियाई सरकार से मांग की थी कि स्कार्फ पहनने की अनिवार्यता को तत्काल हटाया जाए। विश्व के दबाव को देखते हुए अब सरकार ने इस अनिवार्यता को हटाने की घोषणा की है।

अमेरिकी पत्रकार के हत्यारे को रिहा करने पर विवाद

हमारा समाज (2 फरवरी) के अनुसार पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय ने अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल हत्याकांड की सुनवाई के दौरान हत्या क अभियुक्त अहमद उमर शेख आर अन्य अभियुक्तों को फांसी की कोठरियों से निकालकर सरकारी रेस्ट हाउस में रखने का निर्देश दिया है। ज्ञातव्य है कि पाकिस्तान की फेडरल सरकार की विशेष याचिका के बाद अदालत इन चारों आरोपियों को जेल से रिहा करने के बारे में सिंध उच्च न्यायालय के फैसले पर फिर से पुनरीक्षण कर रही है। एक सप्ताह पूर्व पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय ने इन आतंकवादियों को जेल से रिहा करने के बारे में सिंध उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि की थी। उन्हें इस बात की भी सुविधा दी गई है कि वे अपने परिवारजनों के साथ सुबह से शाम तक रह सकते हैं। इस अवसर पर अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने अदालत में बहस करते हुए बताया था कि अहमद उमर शेख आम अपराधी नहीं है बल्कि वह आतंकवादियों का मास्टरमाइंड है। इसलिए वह गत दो दशक से आतंकवाद की शिकार पाकिस्तानी कौम के लिए जबर्दस्त खतरा है। अटॉर्नी जनरल ने इस बात पर भी जोर दिया था कि पाकिस्तान में आतंकवाद के कारण दिन-प्रतिदिन स्थिति और बिगड़ रही है। सरकार

के अनुसार अपराधी के विरूद्ध एक मजबूत केस है। उन्होंने कहा कि जब सिंध उच्च न्यायालय में यह मामला आया था तो उसमें पाकिस्तान की फेडरल कोर्ट के वकील को अपना दृष्टिकोण पेश करने का अधिकार नहीं दिया गया था। अदालत फेडरल कोर्ट को इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। सिंध सरकार के पास आरोपियों को हिरासत में रखने का कोई प्रमाण नहीं था। इस पर जस्टिस सज्जाद ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि पाकिस्तान की फेडरल सरकार ने उमर शेख को हिरासत म रखने के बारे में दस्तावेज राज्य सरकार को क्यों उपलब्ध नहीं कराए? जस्टिस उमर ने पूछा कि क्या अभियुक्त पाकिस्तानी नागरिक है या विदेशी? इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अहमद उमर शेख के पास पाकिस्तान और ब्रिटेन दोनों की नागरिकता है। उन्होंने कहा कि आरोपी 18 वर्ष से जेल में बंद है और हत्या का जो वीडियो अदालत में पेश किया गया था उसमें आरोपी का चेहरा स्पष्ट नहीं था।

इंकलाब (30 जनवरी) के अनुसार पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालय ने अभियुक्त उमर शेख और चार अन्य आरोपियों को जेल से रिहा करने का जो निर्देश दिया था उसके बारे में अमेरिका ने पाक्स्तिान सरकार की तीव्र आलोचना की थी और कहा था कि पाकिस्तान सरकार को अपने कानूनी विकल्प पर पुनरीक्षण करना चाहिए क्योंकि इन आतंकवादियों को जेल से रिहा करने के दूरगामी परिणाम होंगे। ज्ञातव्य है कि अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल 2002 में जब कुछ आतंकवादियों के बारे में समाचारों की जांच पड़ताल कर रहे थ तो उनका इस्लामिक आतंकवादियों ने कराची से अपहरण कर लिया था और एक महीने के बाद उनका शव कराची की एक बस्ती से बरामद हुआ था। पाकिस्तानी सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के दौरान मुख्य आतंकवादी ब्रिटिश मूल के अहमद उमर सईद शेख और उसके तीन सहयोगियों को गिरफ्तार किया था। गत वर्ष सिंध उच्च न्यायालय ने इन सबको रिहा करने का आदेश दिया था, जिनकी पुष्टि गत सप्ताह पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालय ने भी की थी। अब पाकिस्तान की फेडरल सरकार ने इन आतंकवादियों को रिहा किए जाने के फैसले पर उच्चतम न्यायालय से पुनरीक्षण करने का आग्रह किया है।

व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना करते हुए कहा है कि अमेरिका के वाल स्ट्रीट जनरल के संवाददाता डेनियल पर्ल का जिस तरह से आतंकवादियों ने अपहरण किया था और बाद में उनकी हत्या कर दी थी उससे सारी दुनिया स्तब्ध रह गई थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से आहत है। हमारी मांग यह है कि पाकिस्तान सरकार आरोपियों के खिलाफ अमेरिका की अदालत में मुकदमा चलाने के विकल्प पर विचार करे। अमेरिका उमर शेख के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। अमेरिकी सरकार मृतक पर्ल के परिवारजनों को इंसाफ दिलाने के लिए कटिबद्ध है।

पृष्ठभूमि : दुनिया को झकझोर देने वाले इस हत्याकांड के बारे में पाकिस्तानी न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला विश्व भर में चर्चा का केन्द्र बना हुआ है। गत सप्ताह पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने इन हत्यारों को बरी करने के लिए सिंध उच्च न्यायालय के फैसले की आलोचना की थी। सिंध सरकार के सरकारी

वकील फैज शाह ने विदेशी संवाद एजेंसी एएफपी को बताया था कि उन्होंने सिंध सरकार की तरफ से पाकिस्तान क सर्वोच्च न्यायालय में फैसले के पुनरीक्षण के लिए याचिका दायर की है और यह अनुरोध किया है कि उमर शेख और फैजल सिद्दीकी आदि आरोपियों की रिहाई के फैसले को रद्द किया जाए। अहमद उमर सईद शेख ब्रिटेन में पैदा हुआ था और उसने लंदन के स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स में शिक्षा प्राप्त की थी। उसे डेनियल पर्ल के अपहरण के तुरंत बाद गिरफ्तार किया गया था। बाद में कराची की एक अदालत ने डेनियल पर्ल के हत्यारे और उसके सहयोगियों को इस आधार पर जेल से रिहा करने का निर्देश दिया था कि वे हिरासत में 20 साल से अधिक की अवधि गुजार चुके हैं। इस फैसले के खिलाफ मृतक डेनियल पर्ल के परिवारजनों ने पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी जिसे अदालत ने रद्द कर दिया था और उन्हें बरी करने के फैसले को बरकरार रखा था। अब अमेरिका द्वारा इस फैसले के खिलाफ जबर्दस्त नाराजगी व्यक्त करने के कारण सिंध सरकार ने पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की है। इसस पूर्व सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया था कि यदि डेनियल पर्ल के हत्यारे किसी अन्य केस में लिप्त नहीं हैं तो उन्हें तत्काल जेल से रिहा किया जाए। सरकारी वकील फैज शाह ने कहा कि पुनरीक्षण के लिए तीन याचिकाएं अदालत में दायर की गई हैं जिनमें उमर शेख और अन्य सहयोगियों की फांसी की सजा को बहाल रखने पर जोर दिया गया है। सिंध के विधि मंत्री मुर्तजा वहाब ने कहा कि क्योंकि पुनरीक्षण का मामला अदालत में विचाराधोन है इसलिए आरोपियों को जेल से रिहा नहीं किया जा रहा है।

ज्ञातव्य है कि अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए इस्लामिक आतंकवादियों के हमले के सिलसिले में अमेरिकी समाचारपत्र 'वाल स्ट्रीट जनरल' के संवाददाता डैनियल पर्ल जब पाकिस्तानी आतंकवादियों के बारे में समाचारों का संकलन कर रह थे इसी दौरान उनका अपहरण कर लिया गया था। कुछ सप्ताह के बाद सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उनकी गर्दन काटे जाने की रिकॉर्डिंग थी।

पाकिस्तान में रसूल और इस्लाम की तौहीन के मुकदमों की भरमार

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (8 फरवरी) पाकिस्तानी संस्थान सेंटर फॉर सोशल जस्टिस ने हाल ही मे एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में इस्लाम और पैगम्बर की तौहीन के मामलों में भारी वृद्धि हो रही है। ज्ञातव्य है कि पूर्व सैनिक तानाशाह जनरल जियाउल हक ने एक विशेष कानून बनाया था जिसके अनुसार पैगम्बर-ए-इस्लाम, कुरान और पैगम्बर के परिवारजनों के बारे में कोई भी अपमान जनक टिप्पणी करने पर मौत की सजा का प्रावधान किया था। सरकारी सूत्रों के अनुसार 1987 से लेकर 2020 तक कुल 1855 व्यक्तियों पर इस्लाम की तौहीन करने का आरोप लगाया गया था। इनमें 1673 पुरुष, 84 महिलाएं और 97 अन्य लोग शामिल थ। एक कंपनी के खिलाफ भी धर्म की तौहीन एक्ट के अधीन मुकदमा दायर किया गया था। इन मुकदमों का संबंध पैगम्बर और उनके परिवारजनों, पवित्र पुस्तकों, इस्लाम की धार्मिक

आस्थाओं पर आघात करने और धार्मिक आयोजनों में बाधा डालने से था।

रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि धर्म के अपमान के मामलों में मुसलमानों की ओर से गैर मुसलमानों के खिलाफ दर्ज कराई जाने वाली शिकायतों की संख्या में कमी आई है और अब मुसलमान ही मुसलमानों के खिलाफ इस कानून के तहत मुकदमें दर्ज करा रहे हैं। इस कानून क गलत इस्तेमाल से अल्पसंख्यक समुदाय को ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है। रिपोट में यह भी दावा किया गया है कि इस कानून के कारण देश में विभिन्न सम्प्रदायों के बीच दूरी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि इस कानून के शिकार अधिकतर मुसलमान इसलिए हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान में मुसलमानों की जनसंख्या अधिक है। रिपोर्ट में यह भी निष्कर्ष निकाला गया है कि अधिकांश मामलों में जो केस मुसलमानों के खिलाफ दर्ज हुए थे वह पुलिस की जांच के दौरान ही सुलझा लिए गए। लेकिन गैर मुसलमानों के खिलाफ आमतौर पर अदालतों में मुकदमें चलाए गए और जिसमें अधिकांश में उन्हें सजा दी गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2020 में जिन 200 व्यक्तियों पर इस कानून के तहत मुकदमें दर्ज किए गए थे उनमें 75 प्रतिशत मुसलमान, 20 प्रतिशत अहमदी, 3.5 प्रतिशत ईसाई और एक प्रतिशत हिंदू थे। मुसलमानों में जिन आरोपियों के खिलाफ मुकदमें चलाए गए उनमें 70 प्रतिशत शिया थे।

दक्षिण अफ्रीका में मुस्लिम महिला सैनिकों को हिजाब की अनुमति

इंकलाब (30 जनवरी) के अनुसार दक्षिण अफ्रीका की सेना में शामिल मुस्लिम महिला कर्मियों को सरकार ने हिजाब का प्रयोग करने की अनुमति दे दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण अफ्रीका की सेना की वर्दी में परिवर्तन किया गया है, जिसके तहत अब मुस्लिम महिला कर्मी सिर को ढंकने के लिए स्कार्फ का इस्तेमाल कर सकती हैं। सरकार ने हिजाब पहनने वाली मेजर फातिमा इसाक्स के खिलाफ सैनिक अदालत में चल रहे मुकदमें को भी वापस लेने की घोषणा की है। यह मुकदमा तीन वर्ष पूर्व शुरू हुआ था जब मेजर फातिमा इसाक्स को उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने हिजाब उतारने का आदेश दिया था। इस आदेश को मेजर न मानने से इनकार कर दिया था। उनका तर्क था कि हिजाब पहनना इस्लाम के अनुसार अनिवार्य है। बाद में मुस्लिम संगठनों के दबाव के कारण यह मुकदमा वापस ले लिया गया। अदालत ने यह फैसला दिया था कि किसी के धम में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता मगर इसके बावजूद सरकार ने फौजी ड्रेस कोर्ड में परिवर्तन नहीं किया था। जिस पर मेजर फातिमा ने पुनः अदालत में याचिका दायर की थी। अदालत के हस्तक्षेप के बाद दक्षिण अफ्रीका के रक्षा मंत्रालय ने ड्रेस कोड में परिवर्तन करके यह व्यवस्था की है कि जो मुस्लिम महिला सैनिक हिजाब का इस्तेमाल करना चाहें उन्हें ड्यूटी के दौरान इसकी अनुमति है। मगर उन्हें अपने कानों को खुला रखना होगा।

कोरोना महामारी के कारण तीन अरब देशों में प्रवेश पर प्रतिबंध

इत्तेमाद (4 फरवरी) के अनुसार अरब देशों में कोविड मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए तीन देशों ने अपने देश में बाहरी लोगों के प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। प्रतिबंध लगाने वालों में सऊदी अरब, कतर और कुवैत शामिल हैं। दो दिन पूर्व सऊदी अरब सरकार ने भारत सहित बीस देशों के नागरिकों के सऊदी अरब में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया था।

दैनिक सहाफत (4 फरवरी) के अनुसार इस प्रतिबंध के तहत सऊदी अरब के नागरिकों, राजनयिक, डॉक्टरों और परिवारजनों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। ये प्रतिबंध मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, लेबनान, तुर्की, पाकिस्तान आदि बीस देशों के नागरिकों पर लगाया गया है। इनके अतिरिक्त जिन देशों के नागरिकों के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें ब्रिटेन, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, पुर्तगाल, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, जापान और दक्षिण अफ्रीका के नागरिक शामिल हैं। सऊदी अरब में अब तक 3 लाख 68 हजार लोग कोरोना से प्रभावित हुए हैं जबकि मरने वालों की संख्या 6400 है। जनवरी के प्रारम्भ में इस महामारी से प्रभावित होने वालों की संख्या 100 से कम हो गई थी जो कि अब बढ़ गई है। मंगलवार के दिन 310 नए केस सामने आए हैं। पाकिस्तान सरकार के अनुसार भविष्य में कोई पाकिस्तानी नागरिक सऊदी अरब की यात्रा नहीं कर सकेगा। मगर जो पाकिस्तानी नागरिक सऊदी अरब में फंस गए हैं उनको वापस लाने के लिए विशेष विमानों की व्यवस्था की गई है।

कौमी तंजीम (5 फरवरी) के अनुसार सऊदी सरकार ने सभी तरह के समारोह और अन्य

गतिविधियों के लिए एक महीने तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। गत कई महीने से कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या में निरंतर कमी आ रही थी मगर अब अचानक उनकी संख्या में भारी वृद्धि हुई है। देशभर में सभी समारोह, विवाहों और सम्मेलनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सभी होटल, रेस्ट हाउस और हॉल बंद रहेंगे। किसी भी जगह पर बीस से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे। देश भर में सिनेमाघरों, स्टेडियम, रेस्टोरेंट और शॉपिंग सेंटरों को भी बंद कर दिया गया है। रेस्टोरेंट और कॉफी हाउस अपने परिसर में किसी को भोज्य पदार्थ परोस नहीं सकेंगे लेकिन उन्हें बाहर के ऑर्डरों के लिए माल सप्लाई की अनुमति दी गई है। गृह मंत्रालय, व्यापार मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय आदि सभी मंत्रालयों को यह निर्देश दिया गया है कि वे इन प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करें। कब्रिस्तानों में शवों को दफन करने वालों के लिए मास्क पहनने को अनिवार्य करार दिया गया है। कब्रिस्तानों में जनाजों की नमाजों को भी अदा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

इत्तेमाद (4 फरवरी) के अनुसार कतर में भी अचानक कोरोना के केसों में तेजी आई है। कतर सरकार ने सभी कार्यालयों और मॉल्स को बंद कर दिया है। सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। फिलहाल मस्जिदों को खुला रखा गया है लेकिन शौचालयों और वजुखानों को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी स्थान पर पांच से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे। प्ले ग्राउंड और पार्कों को भी बंद कर दिया गया है। एक वाहन में तीन से ज्यादा व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकेंगे। स्कूलों में भी सिर्फ एक चौथाई छात्रों को ही जाने की अनुमति होगी। सिनेमाघरों और थियेटरों में भी 30 प्रतिशत लोग ही जा सकेंगे। सभी इनडोर स्वीमिंग पुल और वाटर पार्क भी बंद कर दिए गए हैं। कुवैत सरकार ने किसी भी विदेशी नागरिक के दाखिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस समय जो विदेशी कुवैत में हैं उन्हें सात दिनों तक होटलों में क्वारंटाइन के तहत अलग रहना होगा। सभी जिम्स और सैलूनों को एक महीने के लिए बंद कर दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भी विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ सभी दफ्तरों और शॉपिंग मॉल्स को बंद कर दिया गया है।

हमारा समाज (3 फरवरी) के अनुसार अबूधाबी में कोरोना वायरस को रोकने के लिए सभी होटलों, थियेटरों और शॉपिंग मॉल्स को तुरंत बंद करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही सभी शराब खाने, सिनेमाघर को भी बंद किया गया है। अभी तक अबूधाबी में विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। ■

अमेरिका का सऊदी अरब को एक और झटका

इंकलाब (6 फरवरी) के अनुसार अमेरिका ने सऊदी अरब को स्पष्ट शब्दों में यह बता दिया है कि वह भविष्य में यमन में हमलों के सिलसिले में उसे किसी तरह का सहयोग नहीं देगा। अमेरिका का यह निर्णय ईरान के पक्ष में बताया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अब हमें इस जंग को समाप्त करना होगा। ज्ञातव्य है कि 2014 से यमनी सरकार और

हूतियों के बीच चल रहे गृह युद्ध में सऊदी सरकार ने अन्य अरब देशों के साथ मिलकर यमन की अपदस्थ सरकार की सहायता में युद्ध शुरू कर रखा है। हूती विद्रोहियों के खिलाफ हो रहे हवाई हमलों में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस भी सहायता देते थ।

अमेरिका के नए राष्ट्रपति ने कहा है कि यमन के युद्ध के कारण काफी मानव हानि हुई है इसलिए हम इस जंग को समाप्त करना चाहते हैं। अमेरिका ने कहा है कि भविष्य में हम सऊदी सरकार को किसी भी तरह का अस्त्र-शस्त्र सप्लाई नहीं करेंगे और इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में शांति स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को सभी तरह का सहयोग देंगे। युद्ध से प्रभावित यमनी जनता को अमेरिका हर संभव सहायता प्रदान करने का प्रयास करेगा। उन्होंने कहा कि मैंने रूस के राष्ट्रपति को यह संकेत दिया है कि अब रूस के प्रति हमारी नीति में परिवर्तन हो रहा है। अब हम रूस के खिलाफ कार्रवाई करने में किसी तरह की झिझक महसूस नहीं करेंगे। अपने हितों और जनता की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। अमेरिको राष्ट्रपति के सुरक्षा सलाहकार ने यह स्पष्ट किया कि अमेरिका ने अलकायदा के खिलाफ जो अभियान शुरू कर रखा है उसमें किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। ज्ञातव्य है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने चुनाव अभियान में जनता से यह वायदा किया था कि यदि वे सत्ता में आए तो वे यमन में युद्ध बंद कर देंगे। ज्ञातव्य है कि 2014 में शुरू होने वाल इस जंग में एक लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 50 लाख के लगभग बेघर हो गए हैं। दो लाख 40 हजार नागरिकों को सहायता और संरक्षण प्रदान करने की तत्काल जरूरत है।

इजरायल से समझौता करने के खिलाफ सूडान में प्रदर्शन

इंकलाब (6 फरवरी) के अनुसार सूडान की सरकार द्वारा इजरायल को मान्यता देने के खिलाफ वहां पर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन तेज हो गए हैं। प्रदर्शनकारी इजरायल के साथ संबंध विच्छेद करने की मांग कर रहे हैं। खार्तूम में स्थित इजरायली दूतावास पर भीड़ ने हमला करने का प्रयास किया आर इजरायल के झंडों को आग लगा दी। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक की सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बात की मांग कर रहे हैं कि सरकार फौरन त्यागपत्र दे। सरकारी सूत्रों के अनुसार प्रदर्शनकारियों का सामना करने का सेना को निर्देश दिया गया है। फिलिस्तीन के सूचना केन्द्रों के अनुसार खार्तूम में अमेरिका के दूतावास पर भी प्रदर्शन किया गया और अमेरिका द्वारा सम्पन्न इब्राहिम संधि के प्रारूप को जलाया गया। सूडान के अनेक भागों में छात्रों और किसानों द्वारा भी सरकार विरोधी प्रदर्शनों का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनकारी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि उसने इजरायल के साथ समझौता करके इस्लाम के साथ गद्दारी की है और अमेरिकी ब्लैकमेलिंग के आगे घुटने टेक दिए हैं।

ज्ञातव्य है कि सूडान ने 6 जनवरी, 2019 को इजरायल के साथ अमेरिका के दबाव पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से पूर्व अमेरिका ने सूडान को आतंकवादी संगठनों को सहायता करने वाली देशों की सूची से निकाल दिया था। अमेरिका ने अरब देशों के साथ इजरायल के संबंधों में सुधार करने के लिए गत एक वर्ष से विशेष अभियान चला रखा है जिसके तहत अब तक छह मुस्लिम देश इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर चुके हैं। हाल ही में बहरीन और मोरक्को ने भी इजरायल के साथ संबंध स्थापित करने की घोषणा की है। सूडान में इस समय संसद भंग है और शासन सैनिक काउंसिल के हाथ में ह। सैनिक काउंसिल ने सूडान के साथ इजरायल के संबंधों को मान्यता देने की घोषणा की है। इसकी पुष्टि बाद में संसद करेगी।

इजरायल के प्रधानमंत्री का संयुक्त अरब अमीरात दौरा

इंकलाब (4 फरवरी) के अनुसार इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू शीघ्र ही संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करेंगे। इसकी घोषणा उन्होंने एक पत्रकार सम्मेलन में की है। इजरायल इन दिनों कोरोना महामारी के दूसरे चरण में बुरी तरह से जूझ रहा है। लगभग सभी प्रशासनिक व्यवस्था ठप्प है। इजरायल में कोरोना से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की संख्या में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। इजरायल के प्रधानमंत्री इससे पूर्व दो बार कोरोना की महामारी के कारण संयुक्त अरब अमीरात का दौरा रद्द कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की है कि उनका यह दौरा बहुत संक्षिप्त होगा। वे एक विशेष वायुयान द्वारा वहां जाएंगे और कुछ घंटे के भीतर वापस लौटने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व मेरा इरादा वहां एक सप्ताह तक ठहरने का था। इजरायल के सरकारी सूत्रों ने इस बात का भी संकेत दिया है कि नेतन्याहू बहरीन भी जाएंगे।

लीबिया में अंतरिम सरकार की स्थापना

इंकलाब (7 फरवरी) के अनुसार लीबिया के विभिन्न दलों ने देश में अगले चुनाव होने तक एक सर्वदलीय अंतरिम सरकार के गठन करने का फैसला किया है। इस सरकार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अब्दुल हामिद मोहम्मद होंगे। जबकि पूर्व राजदूत मोहम्मद अल मेनफी को राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। जबकि लीबिया में इस वर्ष के अंत में 24 दिसंबर को आम चुनाव होने वाले हैं। देश क विभिन्न राजनीतिक दलों में अंतरिम सरकार बनाने के बारे में वार्ता चल रही थी और इस लक्ष्य से लीबियन पॉलिटीकल डायलॉग स्थापित किया गया था जिसके 74 प्रतिनिधियों के बीच गत कुछ सप्ताह से जेनेवा में बातचीत चल रही थी।

ज्ञातव्य है कि लीबिया में पूर्व तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी की 2011 में हुई हत्या के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों और सशस्त्र गुटों के बीच सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष चल रहा है। इस गृह युद्ध के कारण लीबिया में हालात बड़ी तेजी से बिगड़ रहे हैं। 'यूएन सपोर्ट मिशन इन लीबिया' के प्रवक्ता ने यह आशा व्यक्त की है कि अंतरिम सरकार की स्थापना के बाद लीबिया में हालात में सुधार होगा। उत्तरी अफ्रीका के मुस्लिम देश लीबिया में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से अल सिराज के नेतृत्व में एक सरकार की स्थाापना करने का प्रयास किया गया था, जिसका विरोध लीबिया के पश्चिम क्षेत्र पर काबिज सेनापति सरदार खलीफा खिज्र की लीबियन नेशनल आर्मी की ओर से किया गया था। इसके बाद से देश में गृह युद्ध की जवाला भड़क उठी थी, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ ने लीबिया में शांति स्थापना करने और निर्वाचन करवाने के लिए विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों को जेनेवा बुलाया था। कार्यकारी प्रधानमंत्री मोहम्मद हामिद ने कहा है कि वह देश में शांति स्थापना और सेना के पुनर्गठन पर विशेष ध्यान देंगे। राष्ट्रीय समस्याओं

के समाधान क लिए भी एक विशेष मंत्रालय स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे देश में संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से आम चुनाव करवाने का प्रयास करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रवक्ता ने बताया कि कार्यकारी प्रधानमंत्री अगले एक महीने में अपने मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन ने गृह युद्ध के शिकार लीबिया में शांति स्थापना के लिए किए जा रहे प्रयासों का स्वागत किया है।

दैनिक इंकलाब (8 फरवरी) न अपने संपादकीय में संयुक्त राष्ट्र संघ क प्रयासों से लीबिया में लड़ रहे विभिन्न गुटों के बीच समझौते का स्वागत किया है और कहा है कि वहां पर हालात इतने खराब हैं कि जल्द शांति स्थापना होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन हो सकता है कि मुसलमानों को कुछ अक्ल आए और वे अपने भाईयों का खून बहाना बंद करें। ज्ञातव्य है कि 2011 में अरब स्प्रिंग नामक जो लहर सीआईए की मेहरबानी से अरब देशों में आई थी उसी ने लीबिया का बेडा गर्क कर दिया। नाटो देशों और उनके कुछ अरब सहयोगियों की मेहरबानी से एक संपन्न देश एक बड़ी वधशाला में बदल गया और सारा देश खंडहर बन गया। आज कोई लीबिया की हालत देखे तो उसे यह विश्वास नहीं होगा कि यह वही देश है जिसको मुअम्मर गद्दाफी ने एक शक्तिशाली राष्ट्र में बदल दिया था। मगर गद्दाफी को अमेरिका, सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात की दुश्मनी बहुत महंगी पड़ी और इन देशों ने अरब स्प्रिंग की आड़ में अपनी दुश्मनी निकालकर गद्दाफी को ठिकाने लगा दिया।

गद्दाफी ने लीबिया पर 42 वर्षों तक राज किया था। इससे पूर्व वे एक सैनिक अधिकारी थे जिन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सितंबर 1969 में लीबिया के सम्राट इदरिस प्रथम की सरकार का तख्ता पलट दिया था। इसके बाद गद्दाफी ने लीबिया का नवनिर्माण किया और तेल से प्राप्त होने वाले धन का इस्तेमाल अपने देश के नवनिर्माण और जनकल्याण में किया, जिसके कारण देश की करेंसी इतनी सुदृढ़ हो गई कि एक लीबियाई दीनार की कीमत तीन अमेरिकी डॉलर के बराबर थी। भारत से हजारों लोग लीबिया में रोजगार पाने के लिए जाते थे। मगर गद्दाफी को हटाने के लिए अमेरिका ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर लीबिया की ईंट से ईंट बजा दी। यह मुसलमानों का दुर्भाग्य है कि जिन देशों को दारूल ईमान (शांति का किला) होना चाहिए उसे वे दारूल हरब (युद्ध का केन्द्र) बना देते हैं। लीबिया के गृह युद्ध के कारण लाखों लोगों को वहां से भागकर अन्य देशों में शरण लेनी पड़ी। इस चक्कर में फंसकर हजारों लीबियाई नागरिक मारे गए। देखना यह है कि लीबिया का घटनाक्रम क्या नया मोड़ लेता है।

योगी सरकार द्वारा मदरसों के खिलाफ कार्रवाई

मुंबई उर्दू न्यूज (8 फरवरी) के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष जांच टीम ने मिर्जापुर और आजमगढ़ के 400 से अधिक इस्लामिक मदरसों की जांच शुरू करने का फैसला किया है। कहा जाता है कि ये मदरसे फर्जी हैं और इन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई करोड़ों रुपये की सरकारी ग्रांट को हड़पा है। इसके अतिरिक्त इनमें से कई मदरसे गैरकानूनी ढंग से भी चलाए जाने का आरोप है। कई मदरसों में अध्यापकों की भर्ती में भी भारी घोटाला हुआ है। इस बात की भी शिकायत मिली है कि अनेक मदरसों के प्रबंधकों द्वारा जिन स्थानों पर मदरसा चलाने का दावा किया गया है उनका कोई वजूद नहीं है और छात्र-छात्राओं तथा अध्यापकों के संदर्भ में भी सरकार को जो जानकारी दी गई है वह फर्जी है। अब एसआईटी की विशेष टीम घोटाले के इन आरोपों की जांच करेगी। जिन 400 इस्लामिक मदरसों की जांच शुरू की जा रही है उनमें 250 मदरसे आजमगढ़ जिले में स्थित हैं।

एक आरटीआई में दी गई जानकारी के अनुसार विशेष जांच टीम मौके पर जाकर इन मदरसों के बारे में जांच करेगी। हाल ही में सरकार द्वारा की गई जांच के दौरान कई मदरसों में भारी घोटाला और सरकारी फंडों का दुरुपयोग सामने आया है। राज्य सरकार ने यह भी फैसला किया है कि इन मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और अध्यापकों के बारे में भी स्थानीय पुलिस थानों द्वारा जांच की जी जाएगी। इस जांच में अध्यापकों के प्रमाणपत्रों की जांच भी शामिल है। हाल ही में मिर्जापुर जिले में एक जांच के दौरान यह पता चला था कि वहां पर 14 मदरसे गैरकानूनी ढंग से चल रहे हैं। उनका न तो कोई भवन है और न ही कोई छात्र। इसके बावजूद वह केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों से करोड़ों रुपये की ग्रांट प्राप्त कर रहे हैं।

इमारत—ए—शरिया द्वारा इस्लाम के प्रसार के लिए राज्यव्यापी अभियान

अवधनामा (2) के अनुसार इस्लामिक पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और मुस्लिम चिंतक मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी, अमीर शरीयत, बिहार, उड़ीसा व झारखंड के निर्देश पर इन तीनों राज्यों में उर्दू के संरक्षण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत बिहार से हो गई है। फुलवारी शरीफ में एक संवाददाता सम्मेलन को संबाधित करते हुए मौलाना मोहम्मद शिबली अल कासमी ने कहा कि मुसलमानों में दीन से दूरी की भावना पनप रही है। इसके साथ ही देश में सत्तारूढ़ ये चाहते हैं कि वे एक विशेष धर्म और उसकी आस्थाओं को सारे देश पर जबरन थोप दें। इस संकट का सामना करने के लिए और मुसलमानों की नई पीढ़ियों को दीन व इस्लाम को बचान और उनके अंदर इस्लामिक जागृति और मजहब के प्रति जागरूकता लाने के लिए यह जरूरी है कि हम इस क्षेत्र में ऐसा तंत्र विकसित करें, जिसके तहत हर बच्चे को इस्लाम और दीन की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जा सके। यह तभी संभव है जब इस सारे क्षेत्र में इस्लामिक मदरसों का जाल बिछाया जाए। इसलिए इमारत शरिया ने यह निर्णय किया है कि इन तीनों राज्यों के उन क्षेत्रों में जहां मुसलमान रहते हैं वहां पर इस्लामिक मदरसों का जाल बिछाया जाए ताकि वहां पर इस्लामिक माहौल में मुसलमानों की नई पीढ़ियां नैतिक प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकें। हमारा यह प्रयास है कि मुसलमानों के लिए स्कूल कॉलेज और तकनीकी संस्थाएं स्थापित की जाएं।

उन्होंने कहा कि इस्लामिक सभ्यता के लिए यह जरूरी है कि उर्दू जुबान की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि इस्लाम की रक्षा हो सके। इसलिए उर्दू के संरक्षण के लिए इन तीन राज्यों में विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। हमारा यह प्रयास होगा कि हर मुसलमान के घर में उर्दू पढ़ने और बोलने का माहौल बनाया जाए ताकि मुसलमान अधिक-से-अधिक संख्या में उर्दू समाचारपत्र और पुस्तकें खरीद सकें। उन्होंने पत्रकारों से अपील की कि वे अपने समाचारपत्रों में इस अभियान का प्रचार करें ताकि हमें अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि इमारत-ए-शरीया की ओर से उर्दू भाषा और इस्लाम के संरक्षण के लिए काफी साहित्य भी प्रकाशित की जा रही है।

मस्जिद में नमाज पर प्रतिबंध से विवाद

इंकलाब (23 जनवरी) के अनुसार ऐतिहासिक फिरोजशाह कोटला की मस्जिद में नमाजियों के दाखिले पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। सिर्फ जुमे के दिन ही नमाजियों को मस्जिद में जाने की

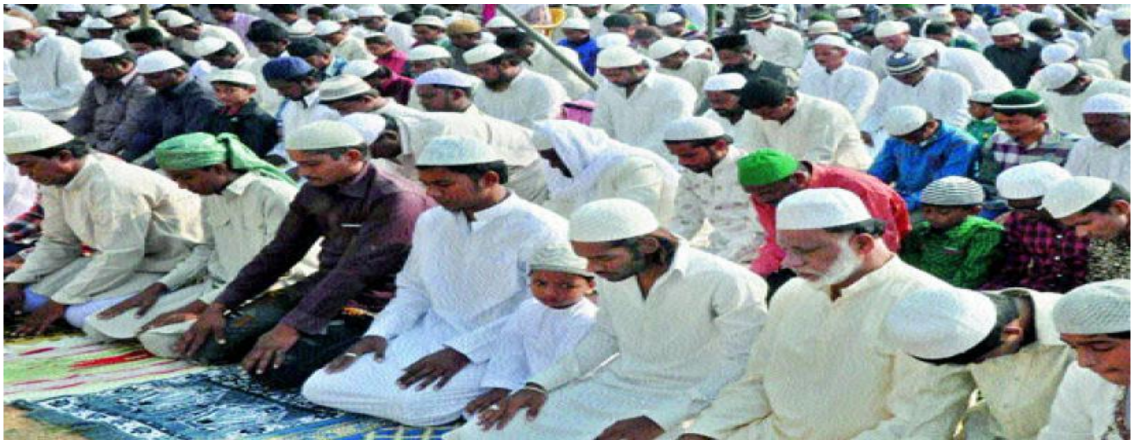

अनुमति है। अगर कोई वहां पर नमाज पढ़ना चाहता है तो उसे बीस रुपये का ऑनलाइन टिकट लेना होगा। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति वहां तीन बार नमाज पढ़ने के लिए जाता है तो उसे साठ रुपये देने होंगे। इमाम और मोअज्जिन को वहां जाने की अनुमति है मगर उसके लिए वक्फ बोर्ड का प्रमाण पत्र जरूरी है। इस ऐतिहासिक स्थान पर गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में यात्री आते हैं मगर उन्हें भी बिना टिकट के दाखिला नहीं दिया जाता। इसके अतिरिक्त वहां पर तबर्रुक (प्रसाद) बांटने पर भी प्रतिबंध है। ज्ञातव्य है कि मुगल वंश के संस्थापक तमूर ने दिल्ली पर हमले के दौरान इसी मस्जिद में नमाज पढ़ी थी। इससे पूर्व उसने दिल्ली में कत्लेआम करने का आदेश दिया था। पहले दिल्ली की अन्य ऐतिहासिक इमारतों की तरह कोटला फिरोजशाह में भी सभी व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति थी और उनसे टिकट की वसूली नहीं की जाती थी। दिल्ली वक्फ बोर्ड के सदस्य जमाल अख्तर ने कहा कि वे इस मामले को वक्फ बोर्ड की बैठक में उठाएंगे। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति किसी शख्स को नमाज अदा करने से नहीं रोक सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो वह गैरकानूनी है।

रोजनामा सहारा (30 जनवरी) के अनुसार मस्जिद फतेहपुरी के शाही इमाम डॉ. मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम अहमद ने सरकार से मांग की है कि नमाजियों पर लगाए गए प्रतिबंध को तत्काल हटाया जाए क्योंकि मस्जिद में नमाजियों को रोकना भारतीय संविधान के खिलाफ है। उन्होंने इस बात की निंदा की कि भारत में अनेक मस्जिदों पर पुरातत्व विभाग ने कब्जा कर रखा है और उसने उनमें नमाज अदा करने पर प्रतिबंध लगा रखा है। उन्होंने अल्पसंख्यक मंत्रालय और केन्द्रीय अल्पसंख्यक आयोग से मांग की ह कि ऐतिहासिक इमारतों में नमाज पर लगाए गए प्रतिबंध को तत्काल हटाया जाए।

रोजनामा सहारा (27 जनवरी) में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार इस ऐतिहासिक इमारत में बीस रुपये का टिकट लिए बिना दाखिल होने की अनुमति नहीं है। सिर्फ जुमे के दिन एक घंटे के लिए इसमें नमाज अदा की जा सकती है। इससे पूर्व इस मस्जिद में नमाजियों के नमाज अदा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं था और वे बिना टिकट लिए नमाज अदा कर सकते थे। समाचार में कहा गया है कि दिल्ली के मुसलमानों के कुछ संगठन इस मामले पर आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं।

पृष्ठभूमि : देश के ऐतिहासिक स्थलों में उपासना करने की अनुमति दने के बारे में गत कई दशक से विवाद चल रहा है। पुरातत्व विभाग के कानून के अनुसार जो ऐतिहासिक स्थल पुरातत्व विभाग के नियंत्रण में हैं उनमें से अधिकांश में नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है। यह प्रतिबंध अनेक गिरजाघरों और मंदिरों पर भी लागू होता है। बताया जाता है कि एक्ट के अनुसार जिस समय पुरातत्व विभाग ने इन भवनों का अधिग्रहण किया था उस समय यदि इन उपासना स्थलों में धार्मिक गतिविधियां चल रही थीं तो उन्हें कानून के तहत जारी रखा गया था। अगर इन उपासना स्थलों में उस समय उपासना नहीं हो रही थी तो उसमें उपासना करने पर प्रतिबंध है। 1989 में संसद में दिए गए बयान के अनुसार देश के विभिन्न भागों में स्थित 360 प्राचीन मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों और दरगाहों में उपासना करने पर इसी एक्ट के अनुसार प्रतिबंध है। वीपी सिंह के सत्ताकाल में यह मामला अनेक बार संसद में उछला था और राजधानी में मुस्लिम संस्थानों ने नमाज की अनुमति प्राप्त करने के लिए कई बार सत्याग्रह भी किया था। इसके बाद केन्द्र सरकार ने पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित धार्मिक स्थलों में शुक्रवार के दिन एक घंटे के लिए नमाज अदा करने की अनुमति दी थी। बाद में इस अनुमति का विस्तार कुछ अन्य ऐतिहासिक स्मारकों में भी किया गया जिनमें आगरा की ताजमहल में स्थित मस्जिद भी शामिल है। जहां तक दिल्ली का संबंध है यहां 42 प्राचीन उपासना स्थल ऐसे हैं जिनमें नमाज अदा करने पर प्रतिबंध गत 80 वर्षों से चला आ रहा है। पहले इनमें पर्यटकों का बिना टिकट लिए प्रवेश करने की अनुमति थी मगर गत कुछ वर्षों में इनमें से अधिकांश स्थलों पर टिकट खरीदना अनिवार्य कर दिया गया है। ■

उर्दू साहित्यकार के नाम पर विश्व उर्दू अवार्ड

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (4 फरवरी) के अनुसार उर्दू साहित्यकार मुजफ्फर हनीफी के नाम पर 'आल्मी तहरीक-ए-उर्दू' संगठन ने एक अवार्ड शुरू करने की घोषणा की है जिसे अप्रैल महीने में दिया जाएगा। इस संबंध में इस संगठन के अध्यक्ष डॉ. जाकिर मलिक ने विधिवत घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस संगठन की एक बैठक दिल्ली में आयोजित की गई थी जिसमें इस अवार्ड को शुरू करने का फैसला किया गया था। इस अवार्ड के तहत 35 हजार रुपये धनराशि के अतिरिक्त एक प्रमाणपत्र और ट्रॉफी भी किसी उर्दू साहित्यकार को दी जाएगी। साहित्यकार का चयन विश्व स्तर पर उर्दू के साहित्यकारों, कवियों और आलोचकों की एक पांच सदस्यीय कमेटी के द्वारा किया जाएगा। यह कमेटी 15 अप्रैल तक अपनी सिफारिशों की घोषणा करेगी। इस बैठक में यह भी फैसला किया गया है कि यह अवार्ड उर्दू के विश्वविख्यात साहित्यकार मुजफ्फर हनीफी के नाम पर शुरू किया जाएगा, जिनका गत वर्ष अक्टूबर महीने में निधन हुआ है। वे 1936 में खंडवा (मध्य प्रदेश) में पैदा हुए थे। उनका पूरा नाम अबू जफर था और उन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय से उर्दू में बीए और पीएचडी की डिग्रीयां हासिल की थीं। उन्हांने 100 से अधिक पुस्तकें भी लिखी हैं। 1976 से वे जामिया मिलिया इस्लामिया में उर्दू विभाग के अध्यक्ष थे। 1989 में उन्हें कोलकाता विश्वविद्यालय में इकबाल चेयर का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। 2001 में वे रिटायर हो गए थे। ■

RNI No. DELHIN/2017/72722

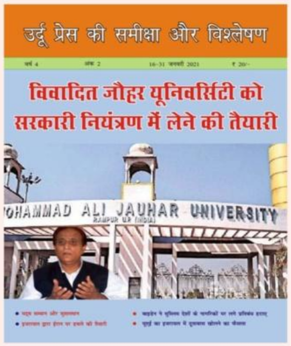

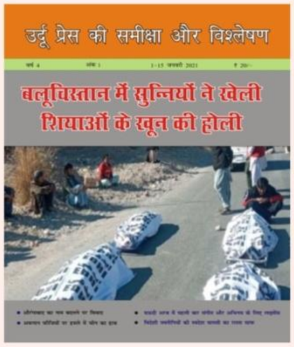

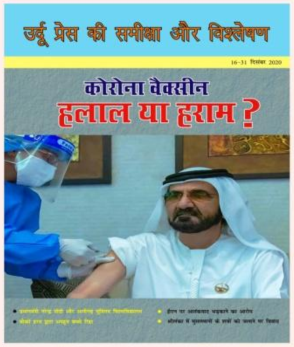

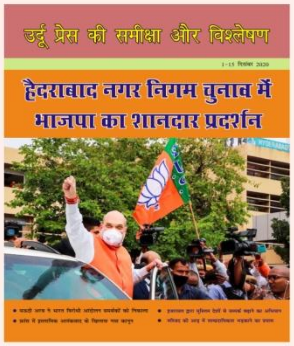

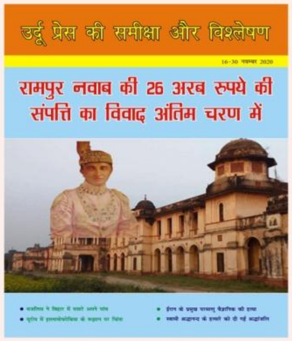

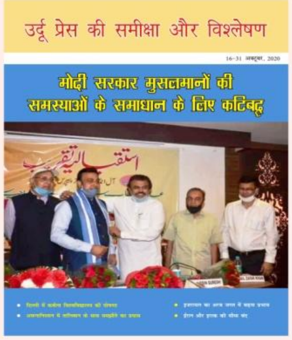

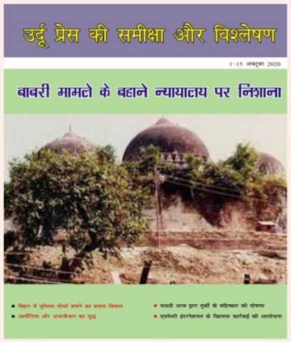

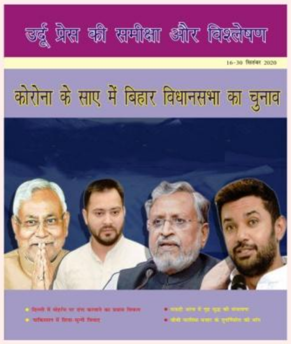

भारत नीति प्रतिष्ठान

India Policy Foundation

॥ प्रदीपयेम जगत् सर्वम् ॥

डी-51, प्रथम तल, हौजखास नई दिल्ली-110016

दूरभाष : 011-26524018, फैक्स : 011-46089365

ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com,वेबसाइट : www.ipf.org.in